रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2015/ज्येष्ठ 28, 1937
No. 162] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2015/JYAISTHA 28, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2015

(अंतिम जाँच परिणाम)

विषय : चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) पाटनरोधी जाँच

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

फा. संख्या 15/23/2013-डीजीएडी.—निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 14 मई, 2002 की अधिसूचना सं. 15/23/2013-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कास्टिक सोडा" (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित मूल जाँच की शुरूआत की थी। प्राधिकारी ने 4 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं. 14/10/2002-डीजीएडी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम जारी किए थे जिनमें केन्द्र सरकार से संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. 142/2003-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था।

2. यत: अधिनियम के अनुसार, लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले हटाया न जाए तो उसे लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों के बीत जाने पर समाप्त हो जाता है।

3. और, उक्त प्रावधान के होते हुए भी, प्राधिकारी के लिए उपास की अवधि समाप्त होने की तारीख से पहले तर्कसंगत अवधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

4. यत: संबद्ध देशों के विरूद्ध इस प्रकार से लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत प्राधिकारी द्वारा की गई थी और दिनांक 21 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. 15/11/2007-डीजीएडी द्वारा संशोधित शुल्क की अवधि बढाने की सिफारिश करने वाल अंतिम जाँच परिणाम जारी किए गए थे। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 137/2008-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क की अवधि को बढाया गया था।

5. यत: प्राधिकारी द्वारा कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब और यूएसए से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरूद्ध मध्यावधि समीक्षा जाँच की गई थी और दिनांक 7 जुलाई, 2011 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं. 15/2/2010-डीजीएडी द्वारा संशोधित पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 3 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना सं. 95/2011-सीमाशुल्क द्वारा संशोधित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था।

6. यत:, मै. अल्कली मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) (जिसे एतद्पश्चात आवेदक या याचिकाकर्त्ता या घरेलू उद्योग भी कहा गया है) ने भारत में घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए कास्टिक सोडा के विनिर्माताओं की ओर से, चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों पर पहले लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा का अनुरोध करते हुए एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया है और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की मांग की है। यह अनुरोध इस कारण पर आधारित है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद पाटन जारी है और घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटन के कारण क्षति होना जारी है क्योंकि लागू पाटनरोधी शुल्क का रूप और राशि अपर्याप्त है। आवेदकों ने यह भी तर्क दिया है कि संबद्ध देशों के विरूद्ध उपाय की अवधि समाप्त होने से पाटन के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

7. घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत पाटन और क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य वाले विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. 15/23/2013-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत की ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जाँच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की आशंका है।

8. वर्तमान समीक्षा के कार्यक्षेत्र में संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पूर्ववर्ती जाँचों के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

9. इस जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार जांच की शुरूआत करने से पहले संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के आरोप वाले आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जाँच की शुरूआत करने के लिए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 15/23/2013-डीजीएडी जारी की।

iii. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों/उद्योग एसोसिएशनों (जिनके ब्योरे घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए) को सार्वजनिक सूचना की प्रति के साथ एक पत्र भेजा और पाटनरोधी नियमों के अनुसार विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने दृष्टिकोण रखने का उन्हें अवसर दिया।

iv. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली 6(3) के अनुरूप संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों तथा संबद्ध देश के दूतावास को इन आवेदनों के अगोपनीय पाठ की प्रतियां उपलब्ध कराई थी। आवेदन अगोपनीय अंश की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई और अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दी गई।

v. संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को भेजे गए पत्र और निर्यातक प्रश्नावलियों की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची के साथ-साथ भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को भी भेजी गई थीं और उनसे संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों तथा संबद्ध देशों से अन्य निर्यातकों/उतपादकों को भी नियम 6(2) एवं 6(4) के अनुसार पत्र जारी किए जाने की तारीख से विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया।

vi. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए निर्यातक प्रश्नावली भेजी

i. हानवा कैमिकल कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य

ii. डीसी कैमिकल्स लिमिटेड, कोरिया गणराज्य

iii. शंघाई क्लोर कल्कली, चीन जन. गण.

vii. चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों/व्यापारियों से प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त हुआ था:

क. तियाजिन दागु इंटरनेशनल कार्पोरेशन, चीन जन. गण. (निर्यातक)

ख. ट्रिकॉन एनर्जी लि., यूएसए (निर्यातक)

ग. ट्रिकॉन ओवरसीज इंक, चीन जन. गण. (निर्यातक)

घ. तियाजिन दागु कैमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. (निर्यातक)

ङ. हानवा कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य (निर्यातक)

च. शंघाई क्लोर-अल्कली कैमिकल कं. लि., चीन जन. गण. (निर्यातक)

छ. हानवा कैमिकल कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य (निर्यातक)

viii. इस प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं (जिनके नाम एवं पते आवेदक द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गए थे) को सार्वजनिक सूचना की प्रतियां अग्रेषित की तथा उन्हें सलाह दी कि नियम 6(4) के अनुरूप इस पत्र के जारी होने की तिथि से चालीस (40) दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत करायें:

i. अभय कैमिकल्स लिमिटेड, गुजरात

ii. अलब्राइट मिल्सन कैमिकल्स लिमिटेड, मुम्बई

iii. अरविन्द मिल्स लिमिटेड, गुजरात

iv. बिरला सेल्युलोस लिमिटेड, गुजरात

v. सेन्ट्रल पल्प मिल्स लिमिटेड, नई दिल्ली

vi. दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, गुजरात

vii. गोदरेज सोप्स लिमिटेड, मुम्बई

viii. गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, गुजरात

ix. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, गुजरात

x. इंडिया फार्मर फर्टिलाइजर को-आप लिमिटेड, कस्तूरीनगर

xi. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, गुजरात

xii. जयसिंथ डाइकेम लिमिटेड, मुम्बई

xiii. लिंक फार्मा लिमिटेड, गुजरात

xiv. मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, गुजरात

xv. नर्मदा केमाच्योर पेट्रोकैमिकल्स लि., गुजरात

xvi. निरमा लिमिटेड, गुजरात

xvii. ऑल इंडिया बायोटेक एसोसिएशन, नई दिल्ली

xviii. ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली

xix. ऑल इंडिया फ्लेट ग्लास मेन्युफैक्चर्स, नई दिल्ली

xx. ऑल इंडिया फूड प्रीजर्वर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली

xxi. ऑल इंडिया मोडर टेक्सटाइल, तमिलनाडु

xxii. ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मेन्युफैक्चर्स एसोसिएशन, मुम्बई

xxiii. ऑल इंडिया स्ट्रेच मेन्युफैक्चर्स एसोसिएशन प्रा. लि., मुम्बई

xxiv. कैमिकल्स एण्ड पेट्रोकैमिकल्स, नई दिल्ली

xxv. कंपाउंड लाइवस्टाक फीड मेन्युफैक्चर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, मुम्बई

xxvi. कनफेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बीवरेज कंपनीज, नई दिल्ली

xxvii. फेडरेशन आफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली

xxviii. फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया, नई दिल्ली

xxix. इंडियन ड्रग मेन्युफैक्चर्स एसोसिएशन, मुम्बई

xxx. इंडियन पेपर मेन्युफैक्चर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली

xxxi. इंडियन सोप एण्ड टायलेटरीज एसोसिएशन, मुम्बई

xxxii. इंडियन सुगर मिल्स एसोसिएशन, नई दिल्ली

xxxiii. भारतीय भेषज उत्पादक संगठन, मुम्बई

xxxiv. सोयबीन प्रासेसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, इंदोर

xxxv. पैब कैमिकल्स (पी) लिमिटेड, गुजरात

xxxvi. रामा न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स, गुजरात

xxxvii. सबेरो आर्गेनिक्स लिमिटेड, मुम्बई

xxxviii. टोरेंट गुजरात बायोटेक लिमिटेड, गुजरात

xxxix. ट्रांसमेक सिलाक्स इंइस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात

xl. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ओडिशा

xli. साइनाइड्स एण्ड कैमिकल्स कंपनी, मुम्बई

xlii. हित्सु इंइस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात

xliii. अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, गुजरात

xliv. अदानी विल्मर लिमिटेड, गुजरात

xlv. लिब्रा फोम्स, गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)

xlvi. श्री रामचन्द्र सट्रा प्रॉडक्ट्स लि., मुरादाबाद (उ.प्र.)

xlvii. बिलाग इंइस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, गुजरात

xlviii. दौराला आर्गेनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली

xlix. सीजे शाह एंड कं., मुम्बई

l. हरीश कुमार एंड कंपनी, मुम्बई

li. हिन्दुस्तान लिंक एंड रेजिन्स लिमिटेड, गुजरात

lii. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, मुम्बई

liii. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स, नई दिल्ली

ix. किसी भी आयातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । तथापि, संदीप आर्गेनिक्स प्रा. लि., मुम्बई से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

x. वर्तमान समीक्षा जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्तूबर, 2012 से 30 सितम्बर, 2013 तक है। हानि संबंधी विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012- मार्च 2013 की अवधि तथा जांच की यह अवधि शामिल है।

xi. वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से सौदा-वार आयात आकड़ों को प्राप्त किया गया। तथापि, यह पाया गया कि डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों में बताई गई आयात की मात्रा याचिकाकर्त्ता द्वारा अपनाए गए स्रोत आईबीआईएस में बताई गई आयातों की मात्रा से 15 प्रतिशत कम थी। अत: आईबीआईएस में बताई गई आयात की मात्रा और मूल्य को वर्तमान निर्धारण के लिए अपनाया गया है।

xii. निर्यातक, उत्पादक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने इस प्राधिकारी को न तो उत्तर दिया है और न ही इस जांच से संबंधित सूचना दी है, को प्राधिकारी द्वारा असहयोगी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना गया है।

xiii. प्राधिकारी ने नियम के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच हेतु रखी गई सार्वजनिक फाईल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

xiv. प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत तय करने तथा अपनी सतत रीतियों के अनुसार भारत से संबद्ध वस्तुओं का क्षति रहित मूल्य का निर्धारण करने जिससे इस बात की जांच की जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, हेतु नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर संभव सीमा तक घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की है।

xv. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 15 सितम्बर, 2014 को आयोजित आम सुनवाई में अपना दृष्टिकोण मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। सुनवाई में भाग लेने वाले सभी

हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने अनुरोध/खंडनों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें।

xvi. इस जाँच के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर इस जाँच परिणाम में संगत पाई गई सीमा तक जाँच और उनका समाधान किया गया ।

xvii. घरेलू उद्योग और प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।

xviii. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।

xix. जहां भी किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जाँच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया या जांच में अत्यधिक बाधा डाली तो प्राधिकारी ने अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने विचार/समुक्तियां दर्ज की हैं और ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है।

xx. केन्द्र सरकार ने प्राधिकारी के अनुरोध पर जाँच को पूरा करने की समयावधि को 18.6.2015 तक बढा दिया।

xxi. संबंधित नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों वाले प्रकटन विवरण जो इस जाँच में अंतिम जाँच परिणामों का आधार होंगे को 11.06.2015 को जारी किया। हितबद्ध पक्षकारों ने उसके संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत की और संगत अनुरोधों का अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना में समाधान और जाँच की गई है।

xxii. इस निष्कर्ष में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।

xxiii. पीओआई के लिए विनियम दर इस प्राधिकारी द्वारा 57.14 रुपया = 1 अमरीकी डॉलर के रूप में लिया गया है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद का दायरा और समान वस्तु</u>

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

10. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. यहां पर विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार का कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा को रासायनिक रूप से एनएओएच या सोडियम हाइड्रॉक्साइड के रूप में जाना जाता है। कास्टिक सोडा एक साबुनी, अधिक अल्कलाइन गंधरहित द्रव होता है जिसका प्रयोग अनेक उद्योगों द्वारा या तो कच्ची सामग्री के रूप में या सहायक रसायन के रूप में किया जाता है। कास्टिक सोडा को दो रूपों- लाई और ठोस में उत्पादित किया जाता है। ठोस फ्लेक्स, प्रिल्स, दानों या किसी अन्य रूप में हो सकता है।

ii. चूंकि वर्तमान जाँच पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जाँच हैं, इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जाँच में और पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जाँच में रहा था।

iii. कास्टिक सोडा का प्रयोग मुख्यत: पल्प और कागज, अखबारी कागज, विस्कोस यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्युमिनियम, कपास, वस्त्र, प्रसाधन और लाउंड्री साबुन, डिटरजेंट, डाईस्टफ, औषध और भेषज, पेट्रोलियम शोधन आदि के विनिर्माण में होता है।

iv. भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित कास्टिक सोडा के बीच कोई अंतर नहीं है। ये दोनों भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया ओर प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है।

v. यद्यपि, कास्टिक सोडा का विश्वभर में तीन प्रौद्योगिकियों या प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जा रहा है, तथापि इसके परिणामस्वरूप उत्पाद की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशनों, विपणन, कीमत निर्धारण, उपभोक्ता अवधारणा, टैरिफ वर्गीकरण आदि की दृष्टि से भिन्न उत्पाद उत्पादित नहीं होता है।

vi. घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी में कोई खास अंतर नहीं है। तथापि, प्रत्येक विनिर्माता आवश्यकताओं और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को दुरूस्त करता है। इसके अलावा, मेम्बरेन प्रौद्योगिकी अद्यतन प्रौद्योगिकी है और भारत में अधिकांश संयंत्रों के पास यह प्रक्रिया है। अत: घरेलू उद्योग के पास तुलनीय प्रौद्योगिकी है।

<u>उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों के अनुरोध</u>

11. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा कोई संगत अनुरोध नहीं किये गए हैं।

<u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

12. मूल जाँच, पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा तथा वर्तमान एसएसआर जाँच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार और रूप का कास्टिक सोडा है। इस उत्पाद को कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। कास्टिक सोडा को रासायनिक रूप से एनएओएच के रूप में जाना जाता है। कास्टिक सोडा एक साबुनी, अधिक अल्कलाइन गंधरहित द्रव होता है जिसका व्यापक रूप से प्रयोग अनेक उद्योगों द्वारा या तो कच्ची सामग्री के रूप में या सहायक रसायन के रूप में किया जाता है। कास्टिक सोडा को दो रूपों- लाई और ठोस में उत्पादित किया जाता है। ठोस फ्लेक्स, प्रिल्स, दानों या किसी अन्य रूप में हो सकता है।

13. संबद्ध वस्तु के संबंध में की गई पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जाँच में, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और उसके दायरे को निम्नानुसार परिभाषित किया था:

"वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद कास्टिक सोडा है, जिसे रासायनिक रूप से एनएओएच के रूप में जाना जाता है। चूंकि यह निर्णायक समीक्षा जाँच हैं, इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जाँच में रहा है। मूल जाँच के अंतिम जाँच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है (रासायनिक नाम एनएओएच), जिसे आम तौर पर कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है, जो कोरिया गणराज्य और चीन जन. गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित है। कास्टिक सोडा एक अकार्बनिक, साबुनी, अधिक अल्कलाइन और गंधरहित रसायन है।

कास्टिक सोडा को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत सीमाशुल्क शीर्ष 2815.11 और 2815.12 वर्गीकृत किया जाता है। आईटीसी 8-अंकीय वर्गीकरण के अनुसार, इस उत्पाद को सीमाशुल्क शीर्ष 2815.1101, 2815.1102 और 2815.1200 के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

कास्टिक सोडा को तीन प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं अर्थात मरकरी सेल प्रक्रिया, डायफ्रेम प्रक्रिया और मेम्बरेन प्रक्रिया द्वारा दो रूपों अर्थात लाई और ठोस रूप में उत्पादित किया जाता है। द्रव रूप को ठोस रूप से ढका जा सकता है और ठोस रूप को आसानी से उत्पाद की रासायनिक विशेषताओं में कोई परिवर्तन किए बिना द्रव में पुन: बदला जा सकता है। ठोस रूप के भण्डारण और परिवहन में आसानी होती है जबकि द्रव रूप आसानी से घुल जाता है। अंतिम प्रयोग के लिए दोनों रूप प्रतिस्थापनीय और अंतर स्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग कास्टिक सोडा का उत्पादन दो रूपों में करता है और वे संबद्ध देशों से आयातों के तुलनीय हैं और इसलिए नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर उन्हें समान वस्तु माना जा रहा है।"

14. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से भारत में आयातित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर समान वस्तुएं हैं। संबद्ध देशों से आयातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं, यह कि उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं और यह कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। जाँच के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पंहुचे हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु, संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों के अनुरोध

15. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

a. जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के अनुसार घरेलू उद्योग में दो उत्पादक अर्थात डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटिड लिमिटेड, नई दिल्ली और गुजरात अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, बदोदरा शामिल हैं। तथापि, याचिका के अगोपनीय अंश में दो के विपरीत घरेलू उद्योग के चार सदस्यों के लिए सूचना दी गई है।

b. सार्वजनिक सुनवाई में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने स्पष्ट किया कि घरेलू उद्योग को जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के अनुसार और न कि याचिका के अनुसार परिभाषित किया गया है।

c. चूंकि घरेलू उद्योग में जाँच शुरूआत और याचिका में अंतर है इसलिए नियम 5 के अंतर्गत पर्याप्तता और सटीकता जो इसमें आवश्यक है से समझौता किया जाता है। इस प्रकार, जाँच शुरूआत स्वयं में ही कानून के प्राधिकार के बिना है क्योंकि पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत (नियम 5) की अनिवार्य अपेक्षा का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया गया है।

d. वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया जा सकता है कि घरेलू उद्योग के दो सदस्यों के लिए क्षति संबंधी आंकड़ों को एक आवेदन में प्रस्तुत किया और उनका विश्लेषण किया गया। उस मामले में, हितबद्ध पक्षों के लिए परिचालित आवेदन गलत आवेदन है जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 का स्पष्ट उल्लंघन है।

e. निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात की जाँच अवश्य करनी चाहिए कि क्या नियम 5 (3)(क) का उल्लंघन उस सीमा तक किया गया कि सटीकता और पर्याप्तता की जाँच प्राधिकारी के समक्ष घरेलू उद्योग का भाग बनने वाले नामित घटकों की दृष्टि ये की गई है।

f. प्राधिकारी को इस बात की जाँच अवश्य करनी चाहिए कि क्या नियम 6 का उल्लंघन इस सीमा तक हुआ है कि क्षति मापदंडों की जाँच घरेलू उद्योग को बनाने वाले घटकों के गलत नामों के संबध में की गई है और हितबद्ध पक्षों को याचिका गलत अंश का परिचालन किया गया है।

g. डीसीडब्ल्यू, रिलायंस और कैमप्लास्ट सनमार ही ऐसे भारतीय उत्पादक हैं जो रेल के माध्यम से भारी मात्रा की आपूर्ति करने में समर्थ हैं। ये सब मिलकर पूर्वी तट पर तीन उपभोक्ताओं की कुल जरूरत के केवल ¼ या 1,20,000 मी.टन को ही पूरा कर सकते हैं।

घरेलू उद्योग के अनुरोध

16. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति निर्णायक समीक्षा में संगत नहीं होते हैं। इसके होते हुए भी, याचिकाकर्त्ता पीओआई में भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा रखते हैं और इसलिए वे घरेलू उद्योग हैं।

ii. यह याचिका अल्कली मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता कंपनियों (एएमएआई के सदस्य) का भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा अर्थात 42.44 प्रतिशत हिस्सा बनता है। इस प्रकार, याचिकाकर्त्ता कंपनियां नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं।

iii. याचिका में स्पष्ट रूप से सभी चार कंपनियों अर्थात डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, एसआईईएल कैमिकल काम्प्लैक्स, डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटिड लिमिटेड और गुजरात अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के नाम बताये गये हैं। उन सभी ने वर्तमान मामले में सूचना उपलब्ध कराई है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जाँच शुरूआत की सूचना में उसका उल्लेख किया है। जाँच शुरूआत संबंधी सूचना के पैरा 6 का उल्लेख केवल टंकण की त्रुटि है।

iv. नियम 5 समीक्षा के स्तर पर लागू नहीं होता है जैसा कि नियम 23 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

v. प्राधिकारी ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग में दो उत्पादक शामिल हैं। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों से केवल उनके विवरण का आधार स्पष्ट करने के लिए कहा है।

vi. पूर्व में तीन उपभोक्ताओं के जरूरत के ¼ को भारतीय उत्पादकों द्वारा पूरा किए जाने के तर्क के संबध में, यह स्पष्ट है कि यह एक गलत तर्क है। देश में 15 उत्पादकों द्वारा एल्युमिनियम उद्योग को सामग्री की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा उन कंपनियों को संयुक्त उत्पादन एल्युमिनियम उद्योग की 447,516 मी. टन की जरूरत के मुकाबले 1,36,686 मी. टन है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार उल्लेख है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवेदन अल्कली मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा दायर किया गया और चार कंपनियों अर्थात डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, एसआईईएल कैमिकल काम्प्लैक्स, डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटिड लिमिटेड और गुजरात अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा समर्थित है।

19. जहां तक इस तर्क का संबध है कि याचिका चार के बजाय दो उत्पादकों द्वारा की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवेदन अल्कली मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा घरेलू उत्पादकों की आरे से किया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मामले के तथ्य और रिकॉर्ड की सूचना यह स्पष्टत: सिद्ध करती है कि याचिका चार उत्पादकों द्वारा दायर की गई थी। याचिका का अगोपनीय अंश दो के विपरीत चार घरेलू उद्योग के सदस्यों के लिए जानकारी देता है और याचिका का यह अगोपनीय अंश सावर्जनिक फाइल में रखा गया है जिसे हितबद्ध पक्षों द्वारा देखा जा सकता है। इस तथ्य को पहले ही विरोधी हितबद्ध पक्षों ने स्वीकार किया है। जाँच की शुरूआत चार घरेलू उत्पादकों के उत्पादन संबंधी आंकड़ों पर आधारित थी और यद्यपि जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में केवल उन्ही दो प्रमुख उत्पादकों के नाम दिए गए थे जिनका चार उत्पादकों के कुल उत्पादन में प्रमुख प्रतिशत हिस्सा बनता था। प्राधिकारी ने विहित प्रपत्र के साथ भारत में संबद्ध वस्तु के इन ज्ञात घरेलू उतपादकों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी थी और उन्हें क्षति निर्धारण के लिए संगत सूचना देने की सलाह दी तथा विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने के लिए कहा। यद्यपि इन कंपनियों ने याचिका का समर्थन किया और उन्होंने क्षति निर्धारण करने के लिए संगत सूचना भी प्रस्तुत की। तदनुसार,चार उत्पादकों के लिए लागत निर्धारण सूचना प्रस्तुत की गई और उसमें स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा किया गया और वह जाँच शुरूआत के स्तर पर घरेलू उद्योग बनाते थे। सभी चार घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना का प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है।

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच शुरूआत और याचिका में घरेलू उद्योग समान है। अत: नियम 5 सहित नियमों का सटीक अनुपालन किया गया है। जाँच शुरूआत के स्तर पर प्राधिकारी के लिए स्वयं को प्रथम दृष्टया जाँच शुरूआत की जरूरत से संतुष्ट करना था। प्राधिकारी के पास जाँच शुरूआत के सूतर पर वह सभी सूचना नहीं हो सकती है जिसकी अंतिम निर्धारण के लिए जरूरत हो। जाँच शुरूआत का उद्देश्य सभी हितबद्ध पक्षों को संगत सूचना प्रदान करने का अवसर देना है। प्राधिकारी सूचना प्रदान करने का अवसर देने के बाद ही निर्धारण कर सकते हैं और सभी हितबद्ध पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है।

21. क्षेत्रीय आधार पर देश के भीतर मांग-आपूर्ति के असंतुलन के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य वस्तु के अनुचित पाटन का समाधान करना है। इसका प्रयोजन का घरेलू उद्योग के लिए संरक्षणात्मक उपाय के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा परंतु बजाय इसके इससे आयात और घरेलू उद्योग को हुई क्षति नियंत्रित होंगे।

22. डीजीसीआईएण्डएस से प्राधिकारी द्वारा ली गई आयात संबंधी सूचना मै. हिंडाल्को लिमिटेड द्वारा कास्टिक सोडा के 27973 मी. टन. को दर्शाती है। इसके अलावा यह नोट किया जाता है कि कास्टिक सोडा के निम्नलिखित घरेलू उत्पादक मै. हिंडाल्को लि. की समूह कंपनियां हैं। हिंडाल्कों द्वारा किए गए आयात इन कंपनियों में से कुछ के उत्पादन के संबंध में काफी अधिक हैं।इसके अलावा,इन कंपनियों ने कास्टिक सोडा के आयात के लिए कोई संभव कारण नहीं बताया है जबकि ये कंपनियां

बाजार में कास्टिक सोडा का उत्पादन कर रही और उसे बेच रही हैं । अत: प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर इन कंपनियों को पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना है।

23. भागीदार कंपनियों का उत्पादन, भारतीय उत्पादन, पात्र घरेलू उद्योग का उत्पादन और भारतीय उत्पादन में भागीदार कंपनियों को हिस्सा निम्नानुसार है:

भारत में कास्टिक सोडा के उत्पादन का ब्योरा

विवरण	इकाइयां	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
भारतीय उद्योग का कुल उत्पादन (एसोसिएशन-एएमएआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार)	**मी. ट.**	24,02,325	25,03,623	24,87,993	25,26,029
भागीदार कंपनियों का उत्पादन					
एसआईईएल	**मी. ट.**	60,830	61,959	66,755	65,784
डीएससीएल, झागडिया	**मी. ट.**	1,32,758	1,27,506	1,34,850	1,45,177
डीएससीएल, कोटा	**मी. ट.**	77,010	1,08,796	1,12,348	1,12,987
जीएसीएल, बड़ौदा	**मी. ट.**	1,69,924	1,58,515	1,58,331	1,53,199
जीएसीएल, दाहेज	**मी. ट.**	2,38,643	2,18,666	2,00,920	2,05,001
डीसीडब्ल्यू	**मी. ट.**	81,684	90,569	72,526	76,820
कुल		7,60,850	7,66,012	7,45,730	7,58,967
भागीदार कंपनियों का हिस्सा	%	31.67	30.60	29.97	30.05

24. भारतीय उत्पादन, पात्र कंपनियों का उत्पादन और भागीदार कंपनियों का उत्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	आबद्ध खपत सहित (मी.ट. में)	आबद्ध खपत से इतर (मी.ट. में)
सकल भारतीय उत्पादन	2,526,029	2,393,514
अपात्र कंपनियों का उत्पादन	605,050	605,050
पात्र कंपनियों का उत्पादन	1,920,979	1,788,465
भागीदार कंपनियों का उत्पादन	758,967	758,967
निम्न में भागीदार कंपनियों का हिस्सा		
सकल भारतीय उत्पादन	30.05 %	31.71 %
पात्र कंपनियों का उत्पादन	39.51 %	42.44 %

25. अत: यह देखा जाता है कि भागीदार कंपनियों का उत्पादन सभी स्थितियों में भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है।

26. नियमावली को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न स्थितियों में भागीदार कंपनियों के उत्पादन पर विचार करते हुए, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि भागीदार कंपनियों का भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। अत: भागीदार कंपनियां नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों के अनुरोध

27. निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों ने निम्नानुसार तर्क दिए हैं:

h. वर्तमान याचिका को अत्यधिक गोपनीयता के कारण रद्द कर दिया जाना चाहिए।

i. लागत से संबंधित सूचना सारांश रूप में नहीं दी गई है। याचिका के लागत निर्धारण खंड के भाग के रूप में कोई सूचीबद्ध या रेंज के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

घरेलू उद्योग के अनुरोध

28. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. समान विधि फर्म से आए प्रश्नावली के उत्तर में मूल्यह्रास और संगत सूचना के प्रकटन में कमियां हैं। यह निर्यातकों द्वारा दावा की जा रही गोपनीयता के तरीके का विचित्र उदाहरण है। कुछ निर्यातकों के उत्तर में पर्याप्त सूचना के संबंध में गोपनीयता के अपनाये जाने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है।

ii. याचिका के अगोपनीय अंश में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रकियाओं के अनुसार प्रकटन किए जाने के लिए अपेक्षित समस्त सूचना दी गई है। वस्तुत,निर्यातकों ने अगोपनीय अंश में पर्याप्त सूचना प्रस्तुत नहीं की है और वर्तमान प्रयास उनके स्वयं के द्वारा सूचना छुपाने को उचित ठहराने का प्रयास है।यहां तक कि भारत को निर्यातों की मात्रा और मूल्य जैसी सूचना को भी गोपनीय दावा किया गया है जिसका कोई विधिक या वास्तविक आधार नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

29. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

30. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों के गोपनीयता के दावों की जाँच की है। प्राधिकारी मानते हैं कि कोई सूचना जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय हो (उदाहरणार्थ उसके प्रकटन से किसी प्रतिस्पर्धी को भारी प्रतिस्पर्धी लाभ मिलने या उसके प्रकटन वजह से सूचना देने वाले किसी व्यक्ति पर या उस व्यक्ति जिससे उस व्यक्ति ने सूचना ली हो पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो),या जिसे जाँच के पक्षकारों द्वारा किसी सही आधार पर गोपनीय रूप से प्रदान किया गया हो तो प्राधिकारी द्वारा ऐसी सूचना को गोपनीय माना जाना चाहिए। ऐसी सूचना का उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की स्पष्ट अनुमति के बिना प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

31. प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ताओं और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए गोपनीयता संबधी दावों पर विचार किया है और उसके बारे में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार

विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल को अनुरोध करने पर निरीक्षण हेतु सभी हितबद्ध पक्षों के लिए उपलब्ध रखा।

च. विविध अनुरोध

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए विविध अनुरोध

32. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

i. नियम 6 का इस सीमा तक उल्लघंन हुआ है कि क्षति संबंधी मापदंडों की घरेलू उद्योग को बनाने वाले गलत नाम के घटकों के लिए जाँच की गई है और याचिका का गलत अंश हितबद्ध पक्षों को परिचालित किया गया है।

ii. नियम 23 (3), नियम 11 और जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के अनुसार, कारणात्मक संबध का विश्लेषण किसी क्षतिसंबंधी विश्लेषण में अंतर्निहित होता है और उससे जाँच के किसी भी स्तर में बाधा नहीं होती है।

iii. नालको के लिए निविदा संबंधी सूचना से पता चलता है कि सभी उत्पादकों के लिए निविदा कीमतें आयातित सामग्री की तरह समान स्तर पर हैं।

iv. घरेलू उद्योग की याचिका में निर्णायक समीक्षा की जरूरत को विधिवत रूप से साक्ष्यांकित नहीं किया गया है।

v. कास्टिक सोडा की लागत को कास्टिक सोडा की सभी लागतों का भार डाले बिना कारोबार आधार पर (आबद्ध अंतरण सहित) पर ही आबंटित किया जाना चाहिए।

vi. प्राधिकारी को यह निर्धारित करने के लिए घरेलू उद्योग के रिकॉर्डों का आकलन करना चाहिए कि क्या क्लोरिन के कारोबार और मूल्य को सह-उत्पाद के बजाय उप-उत्पाद के रूप में माना जाना न्यायोचित है।

vii. निर्यातक की प्रतिस्पर्धी बढ़त को पाटन नहीं माना जा सकता है। यदि शुल्क लगाया भी जाता है तो भी घरेलू उद्योग की आपूर्ति संबधी क्षमताओं में अंतर्निहित कमियों के कारण आयातों का होना निश्चित है।

viii. घरेलू उद्योग क्लोरिन को एक सह-उत्पाद के बजाय उप-उत्पाद मानता रहा है। परिणामस्वरूप, 1 ईसीयू की उत्पादन लागत को पूरी तरह से कास्टिक सोडा पर भारित किया गया है।

ix. क्लोरिन को ऐसा मानने का आधार यह है कि भारत में क्लोरिन की मांग कम है। तथापि, क्लोरिन का बाजार विकसित हो गया है क्योंकि जीएसीएल और डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड के पास क्लोरिन के लिए निम्नवर्ती समेकन है क्योंकि ये दोनों पॉली विनाइल क्लोराइड का विनिर्माण करते हैं।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विविध अनुरोध

33. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

i. किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली में प्राधिकारी द्वारा यथापेक्षित तीसरे देशों को निर्यातों का सौदावार ब्यौरा नहीं दिया गया है। इसके आलोक में प्रश्नावली के सभी उत्तर बिल्कुल अधूरे हैं और उन्हें अस्वीकार किया जाना चाहिए।

ii. नियम 6 जाँच के चरण पर लागू होता है और न कि जाँच शुरूआत के चरण पर। नियम 6 के विभिन्न उपबंधों को केवल तब लागू किया जाता है जब मामला शुरू हो गया हो।

iii. कारणात्मक संबंध के विश्लेषण के संबंध में, प्राधिकारी के लिए केवल पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद से हुए परिवर्तनों पर ध्यान देना अपेक्षित है और उन्हें पूरी प्रक्रिया का दोहराना अपेक्षित नहीं है।

iv. नालको के लिए निविदा सूचना जिसमें सभी उत्पादकों के लिए कीमतों का समान स्तर आयातित स्तर पर दर्शाया गया था के बारे में प्रतिवादियों का दावा सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग को आयात से प्रतिस्पर्धा में कीमत का प्रस्ताव करने को बाध्य होना पड़ा।

v. हितबद्ध पक्षों के इस तर्क के संबंध में कि याचिका में निर्णायक समीक्षा की जरूरत को विधिवत रूप से साक्ष्यांकित नहीं किया गया है यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी ने जाँच शुरूआत संबंधी सूचना में

माना है कि घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन प्रस्तुत करने के कारण उन्होंने जाँच की शुरूआत का निर्णय लिया है। प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य पर विचार किया है और निर्णायक समीक्षा की कार्यवाही को शुरू करना उचित माना है।

vi. घरेलू उद्योग ने लागत रिकॉर्डों में उचित पद्धति को अपनाया है जिसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाए।

vii. क्लोरिन कारोबार के बारे में घरेलू उद्योग के रिकार्डों के आकलन करने के तर्क के संबंध में प्राधिकारी संगत और आवश्यक समझी जाने वाली कार्रवाई कर सकते हैं। घरेलू उद्योग ने समस्त संगत सूचना प्रस्तुत की है और वह प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करेगा।

viii. पाटन प्रतिस्पर्धी लाभ से संबंधित नहीं है। पाटन मार्जिन सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच का अंतर होता है। यदि निर्यातकों की कम भाड़ा लागत है तो इसका अर्थ निर्यातकों के लिए उच्चतर कारखाना द्वार प्राप्ति होना चाहिए जिसका अर्थ कमतर पाटन होना चाहिए। आयातों का बाजार हिस्सा 2004-05 और 2005-06 में 3 प्रतिशत के निम्न स्तर पर था और 2009-10 में बढकर 14 प्रतिशत हो गया और 2010-11 में घटकर 8 प्रतिशत से कम रह गया। आयातों का बाजार हिस्सा एक बार फिर वर्तमान वर्ष में 14 प्रतिशत हो गया जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाटन की प्रथाओं के कारण आयातों में वृद्धि हुई है।

ix. भागीदार कंपनियों के लिए क्लोरिन एक उप-उत्पाद है और इसलिए उस पर तदनुसार विचार किया जाना चाहिए।

x. निम्नवर्ती समेकन के बारे में तर्क के संबंध में यह अनुरोध किया गया है कि यह तर्क भी यह सिद्ध करता है कि भागीदार कंपनियों के लिए क्लोरिन एक उप-उत्पाद है और इसलिए उस पर तदनुसार विचार किया जाना चाहिए। बदलती हुई परिस्थितियों के संबंध में जीएसीएल पीवीसी रेजिन का उत्पादन नहीं करती है, जबकि डीसीएम श्रीराम यद्यपि क्लोरिन का उत्पादन करता है तथापि आबद्ध रूप से 75 की खपत करता है। शेष को बाजार में बेचा जाता है। इसके अलावा डीसीएम के पास दो संयंत्र (कोटा और झागरिया में) हैं। पीवीसी केवल कोटा में उत्पादित होता है। झागरिया में कंपनी द्वारा उत्पादित क्लोरिन की बिक्री करती है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जॉच</u>

34. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है और निम्नानुसार मानते हैं:

क. नियमावली का नियम 6 जॉच शुरू होने के बाद लागू होता है और न कि जांच शुरूआत के स्तर पर। जांच शुरूआत के स्तर पर, प्राधिकारी के लिए केवल प्रथम दृष्टया स्वयं को संतुष्ट करना होता है कि जांच की शुरूआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

ख. कारणात्मक संबंध की जांच के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कारणात्मक संबंध से संबंधित प्रावधान आवश्यक संशोंधनों के आधारपर लागू होतें हैं और इसी बात को वर्तमान जांच में माना गया है।

ग. नालको को आपूर्ति में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं की निविदा कीमतों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इससे वस्तुत: घरेलू उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रदर्शित होती है। ऐसी स्थिति में जहां नालको न्यूनतम कीमत आधार पर आर्डर देता है, तो यदि विदेशी उत्पादक-निर्यातक कमतर कीमत उद्धरित करते हैं तो घरेलू उद्योग के आर्डर गंवाने की संभावना है।

घ. जांच शुरूआत की याचिका के तथ्यों के संबंध में प्राधिकारी ने इस बात से प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद ही जांच शुरू की है कि याचिका में जांच की शुरूआत को उचित ठहराने वाले पर्याप्त साक्ष्य दिए गए हैं।

ङ. कास्टिक और क्लोरिन के बीच लागतों के आबंटन के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा रखे गए रिकार्डों के आधार पर कार्रवाई की है। नियमावली के अनुबंध-II में उपबंध है कि प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कंपनी द्वारा रखे गए रिकार्डों पर विचार करेंगे। अत: वर्तमान मामले में इसी बात का पालन किया गया है।

च. प्रतिस्पर्धात्मकता के लाभ और हानि के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह पाटन जॉच का मामला है। जहां तक घरेलू उद्योग को क्षति का संबंध है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की मौजूदा स्थिति पर विचार किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्लोरिन पर संयुक्त या उप-उत्पाद के रूप में विचार किया जाना क्लोरिन की मांग पर आधारित नहीं है। यह दोनो उत्पादों के सापेक्ष मूल्य पर आधारित है।

छ. पाटन का आकलन – पद्धति और मापदंड

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

घरेलू उद्योग के अनुरोध

35. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. चीन एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। किसी देश ने चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया है। चीन का कोई भी उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को पूरा नहीं कर सकता है। तथापि, हरीमन कैमसुल्ट में बताई गई कीमतों में भी पाटन सिद्ध हुआ है। याचिकाकर्ता ने उन कीमतों संबंधी सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया जिन पर कोरिया गणराज्य के निर्यातक और उत्पादक कास्टिक सोडा को बेच रहे हैं। चूंकि हरीमन कैमसुल्ट चीन और कोरिया गणराज्य में कीमतों की जानकारी देता है इसलिए वह इन देशों के घरेलू बाजार में प्रचलित कीमतों का अच्छा संकेतक है। उनके द्वारा बताई गई ये कीमतें इन देशों में सामान्य मूल्य के रूप में ली गई हैं।

ii. निवल निर्यात कीमत को समुद्री भाड़ा, दस्तावेज प्रभारों, पत्तन प्रभारों, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय मालभाड़ा, केवल चीन के मामले में वैट अंतर जैसे व्ययों के लिए समायोजन करने के पश्चात सुस्थापित नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

iii. पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए,निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना की गई। सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को कारखाना-द्वार स्तर पर निर्धारित किया गया है और वे समान अवधि से संबंधित हैं। बिक्री की शर्तो और निबंधनों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनो कीमतें करों से मुक्त हैं। विदेशी उत्पादक दोनों बाजारों में व्यापार के समान स्तर पर वस्तुओं को बेच रहे हैं। इस प्रकार, की गई तुलना उचित तुलना है।

iv. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी पाटन जारी है। प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती जॉंच में भी भारत में इस उत्पाद का भारी पाटन नोट किया गया था।

v. जहां तक अलग-अलग पाटन मार्जिन की गणना करने के मुद्दे का संबंध है, यह अनुरोध किया गया है कि हानवा के संबंध में प्राधिकारी को यह मानना चाहिए कि हानवा ने तथ्यों को छुपाया है और वह वर्तमान जॉंच और पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की निर्णायक समीक्षा के बीच गुमराह करने वाली सूचना दे रहे हैं। हानवा कैमिकल्स अलग पाटन मार्जिन दिए जाने के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक सुनवाई के समय यह दलील दी थी कि वे उत्पादक हैं और हानवा कार्पोरेशन निर्यातक हैं जबकि ट्रिकॉन एनर्जी वह है जो निर्यातक होने के नाते भारत को वस्तुओं का नौवहन करता है। तथापि यह दावा हानवा द्वारा पीवीसी सस्पेंशन रेजिन निर्णायक समीक्षा जॉंच के समय किए गए दावे के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें हानवा कार्पो. ने दावा किया था कि वह मात्र एक कमीशन एजेंट हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी को पीवीसी सस्पेंशन रेजिन निर्णायक समीक्षा मामले के सभी रिकार्डों को सह-संबंधित करना चाहिए और यदि पर्याप्त विरोधाभास होता है तो प्राधिकारी को पूरा उत्तर ही अस्वीकार कर देना चाहिए।

उत्पादकों/आयातकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार:

36. उत्पादकों/आयातकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. चूंकि निर्यातक ने विहित प्रपत्र में समस्त संगत सूचना प्रस्तुत की है इसलिए प्राधिकारी से सभी सहयोगी व्यापार श्रृंखलाओं के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन की गणना करने और तदनुसार, इस संबंध में शुल्क की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है।

ii. यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे लाभों के संबंध में किस प्रकार का समायोजन किया गया है जो संबद्ध देशों के निर्यातकों को प्राप्त होते हैं। आवेदकों को लाभों की प्रकृति और उनके लिए किए गए समायोजन को अवश्य बताना चाहिए।

iii. आवेदकों द्वारा भरोसा किए गए आयात आंकड़े असंगत हैं क्योंकि आवेदकों ने चीन से निर्यातों के लिए चीन के सीमाशुल्क आंकड़ों पर भरोसा किया है। ऐसे आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे सीमाशुल्क आंकड़ों की सत्यता निर्यातक या प्राधिकारी के भी सत्यापन के दायरे से बाहर है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

37. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

38. इस अनुरोध के संबंध में कि सभी सहयोगी व्यापार श्रृंखलाओं के लिए अलग-अलग पाटन/क्षति मार्जिन निर्धारण होना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारण इस संबंध में डीजीएडी की सुस्थापित प्रक्रिया और नियमावली के अनुरूप हैं।

39. इस दलील के संबंध में कि चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से आयातों की कम मात्रा से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण नियमावली को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है और प्राधिकारी के लिए संगत अवधि के दौरान वास्तविक पाटन और क्षति के अलावा पाटन और क्षति की संभावना की जाँच करना अपेक्षित है।

40. घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए समायोजनों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह सुस्थापित प्रक्रिया से सुसंगत हैं।

41. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात निर्याताकों /उत्पादकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं जिसमें उन्हें विहित ढंग और तरीके से सूचना प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है:

I. <u>मै. हानवा कैमिकल कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य (उत्पादक)</u>

II. <u>मै. हानवा कार्पोरेशन,कोरिया गणराज्य (निर्यातक) और</u>

III. <u>मै. ट्रिकॉन एनर्जी लिमिटेड, यूएसए (निर्यातक)</u>

IV. <u>मै. तियाजिन दागु कैमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (उत्पादक) और मै. ट्रिकॉन ओवरसीज इंक, यूएसए (निर्यातक)</u>

V. <u>मै. शंघाई क्लोर-अल्कली कैमिकल कं. लि. चीन जन. गण. (निर्यातक) और</u>

VI. मै. तियाजिन दागु इंटरनेशनल कार्पो., चीन जन गण् (निर्यातक)

कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

मै. हानवा कैमिकल कार्पोरेशन (एचसीसी), कोरिया गणराज्य (उत्पादक)

42. मै. हानवा कैमिकल कार्पोरेशन (एचसीसी) ने उत्तर दिया है है विहित प्रपत्र में सूचना प्रदान की है। प्रतिवादी की उत्पादन लागत की तुलना सौदावार घरेलू बिक्रियों के साथ की गई है और यह पाया गया कि 80 प्रतिशत से अधिक बिक्री लाभप्रद रही हैं। अत: प्राधिकारी ने परिशिष्ट-I में बनाए गए अनुसार सभी घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। अंतर्देशीय मालभाड़ा, बीमा और ब्याज आदि के लिए दावों के अनुसार समायोजन की अनुमति दी गई है। तदनुसार,घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर ज्ञात सामान्य मूल्य को नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

कोरिया गणराज्य के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

43. प्राधिकारी नोट करते हैं किकोरिया गणराज्य से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अत: कोरिया गणराज्य के सहयोगी उत्पादकों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य को कोरिया गणराज्य के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अपनाया गया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य को नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या अलग-अलग निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा मान्यता का खंडन करने के अधीन भारत द्वारा पाटनरोधी जांच में चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है ।

45. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 8 के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता का खंडन किया जा सकता है । यदि चीन जन.गण. के निर्यातक (कों)/उत्पादक (कों) द्वारा पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं और इसके विपरीत तथ्यों को सिद्ध किया जाए । चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली के उत्तर में पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में यथाउल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि प्राधिकारी निम्नलिखित मापदंडों पर विचार करने में सक्षम हो सके कि क्या :

- चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों के कीमत, लागत और निविष्टि कच्ची सामग्री सहित, प्रौद्योगिकी की लागत, श्रम, उत्पादन, बिक्री और निवेश संबंधी निर्णय बाजार संकेतकों के उत्तर में लिए जाते हैं जिनमें आपूर्ति और मांग प्रदर्शित होती हो और इस संबंध में उनमें राज्य का कोई खास हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्यों को पर्याप्त रूप से दर्शाती है;

- ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से आई भारी विकृतियों के अधीन होती है जो विशेष रूप से परिसंपत्ति के ह्रास अन्य बट्टे-खाते, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋण की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान से संबंधित होती है;

- ऐसी फर्में दिवालिया और संपत्ति कानूनों के अधीन होती हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

- विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं ।

46. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली और बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) संबंधी प्रश्नावली की प्रतियां भेजी। तथापि, किसी उत्पादक/निर्यातक ने एमईटी का दावा नहीं किया है। उक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-I के पैरा-7 के अनुसार कार्रवाई करना उचित समझते हैं जिसमें निम्नानुसार व्यवस्था है:

'गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तिव रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के सूतर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।"

47. उक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ अनुबंध-I के पैरा-7 को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। भारत में चीन से आयातित संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना, कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतो, परिवर्तन लागत, ब्याज, एसजीए व्यय आदि जिनकी उत्पादन लागत पर तर्कसंगत लाभ के साथ घरेलू उद्योग के लिए स्तरो की अनुमति दी गई, पर विचार करते हुए परिकलित किया गया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य को नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

कोरिया गणराज्य के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

मै. हानवा कैमिकल कार्पोरेशन (एचसीसी) और ट्रिकॉन एनर्जी लि. यूएसए (निर्यातक)

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. हानवा कैमिकल कार्पोरेशन (एचसीसी) ने ट्रिकॉन एनर्जी लि. यूएसए के माध्यम से संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है, जिसने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है। भारत को निर्यात श्रृंखला में एचसीसी, कोरिया गणराज्य – हानवा कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य – ट्रिकॉन एनर्जी लि, यूएसए और – भारतीय उपभोक्ता शामिल हैं। 24,139 डीएमटी की मात्रा के लिए सभी निर्यात सौदे हानवा कार्पोरेशन और अंतत: ट्रिकॉन एनर्जी लि. के जरिए किए गए हैं जिसने भारत में उपभोक्ताओं के लिए बीजक तैयार किए हैं। निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए उत्पादक और निर्यातक द्वारा किए गए समायोजन के दावों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय मालभाड़ा, ब्याज,स्वीकृति और प्रहस्तन प्रभार, एचसीसी का बीमा और बैंक प्रभार, कमीशन, एलसी शुल्क, ट्रिकॉन का एसजीए आदि पर विचार किया जा रहा है। एचसीसी (उत्पादक) और ट्रिकॉन (निर्यातक) के लिए निर्धारित निवल निर्यात कीमत को नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

कोरिया गण. से असहयोगी निर्यातक

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जाँच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। अत: प्राधिकारी सहयोगी उत्पादक की न्यूनतम निर्यात कीमत के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने की कार्रवाई करते हैं। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत को निम्नांकित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

मै. तियाजिन दागु कैमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (उत्पादक), मै. तियाजिन दागु इंटरनेशनल कार्पोरेशन, चीन जन.गण. और मै. ट्रिकॉन ओवरसीज इंक, यूएसए (निर्यातक) और ट्रिकॉन एनर्जी लि., यूएसए (निर्यातक)

50. निर्यातक मै. ट्रिकॉन एनर्जी लि. ने चीन जन. गण. से खरीदी गई संबद्ध वस्तु के लिए भारत को किए गए निर्यातों के निर्यात-वार सौदों के ब्योरे उपलब्ध कराए हैं। निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए, निर्यात के सभी सौदों और चीन जन. गण. से खरीद के सभी सौदों पर विचार किया गया है। तथापि, ट्रिकॉन एनर्जी द्वारा भारत को निर्यात सीएफआर आधार पर किए गए हैं। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए मै. तियाजिन दागू कैमिकल कंपनी लि. इंटरनेशनल के बैंक प्रभारों और ऋण लागत, मालभाड़ा, कमीशन, छूट, एल सी प्रभार, बीमा, एस जी ए आदि को मै. ट्रिकॉन की बिक्री कीमत से समायोजित किया गया है । तद्नुसार, इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत को निम्नांकित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है ।

मै. शंघाई क्लोर अल्कली कैमिकल कंपनी लि., चीन जन.गण. (उत्पादक/निर्यातक) और मै. ट्रिकोन ओवरसीज इंक, यू एस ए (निर्यातक)

51. निर्यातक मै. ट्रिकॉन एनर्जी लि. ने चीन जन. गण. से खरीदी गई संबद्ध वस्तु के लिए भारत को किए गए निर्यातों के निर्यात-वार सौदों के ब्योरे उपलब्ध कराए हैं। निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए, निर्यात के सभी सौदों और चीन जन. गण. से खरीद के सभी सौदों पर विचार किया गया है। तथापि, ट्रिकॉन एनर्जी द्वारा भारत को निर्यात सीएफआर आधार पर किए गए हैं। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए मै. शंघाई क्लोर अल्कली कैमिकल कंपनी लि. इंटरनेशनल के बैंक प्रभारों और ऋण लागत, मालभाड़ा, बीमा, एस जी ए आदि को मै. ट्रिकॉन की बिक्री कीमत से समायोजित किया गया है। तद्नुसार, इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत को निम्नांकित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है ।

चीन जन. गण. से असहयोगी निर्यातक

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जाँच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। अत: प्राधिकारी सहयोगी उत्पादक अर्थात मै. तियाजिन दागु कैमिकल कंपनी लिमिटेड की न्यूनतम निर्यात कीमत के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने की कार्रवाई करते हैं। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत को निम्नांकित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

53. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

पाटन मार्जिन तालिका

देश	उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य अम.डा./डीएमटी	निवल निर्यात कीमत अम.डा./डीएमटी	पाटन मार्जिन अम.डा./ डीएमटी	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन रेंज(%)
कोरिया गण.	हान्वा कैमिकल कॉर्पो. (उत्पादक) – हान्वा कॉर्पो. और ट्रिकॉन एनर्जी लि. (निर्यातक)	***	***	***	***	(0-10)
	कोई अन्य समूह	***	***	***	***	0-10
चीन जन.गण.	शंघाई क्लोर अल्कली (उत्पादक) और ट्रिकोन ओवरसीज (निर्यातक)		***	***	***	(0-10)
	तियानजिन डागू (उत्पादक) तथा ट्रिकोन एनर्जी लि. या ट्रिकोन ओवरसीज (निर्यातक)	***	***	***	***	(0-10)
	कोई अन्य समूह	***	***	***	***	35-45

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन

घरेलू उद्योग के अनुरोध

54. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनरोध किए हैं :

i. चूंकि याचिकाकर्ता कंपनियां बहु उत्पाद कंपनियां हैं, इसलिए याचिकाकर्ता ने व्यवहार्य सीमा तक समान वस्तु के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराई है ।

ii. आयातों में आधार वर्ष से काफी वृद्धि हुई है और पूरी क्षति अवधि में इनकी मात्रा अधिक रही है । पाटनरोधी शुल्क वाले अन्य देशों से आयातों में 2012-13 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच अवधि में गिरावट आई है ।

iii. उत्पादन और खपत की दृष्टि से आयातों में वृद्धि हुई है । यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाता है तो पाटित आयातों की मात्रा में और अधिक वृद्धि होगी ।

iv. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है । आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं ।

v. आयातों की पहुंच कीमत, बिक्री लागत और बिक्री कीमत के बीच तुलना से पता चलता है कि आयातों द्वारा जांच अवधि के दौरान घरेलू कीमतों में कटौती की संभावना है ।

vi. लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह, मालसूची आदि की दृष्टि से घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन 2012-13 तक सकारात्मक रहा है । तथापि, इस अवधि में आयात कीमतों में कमी की वजह से जांच अवधि में इसमें एक बार फिर गिरावट आई है ।

vii. उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग में कुछ सुधार हुआ है ।

viii. थोड़े बहुत सुधार के बाद भी घरेलू उद्योग की स्थिति स्पष्ट रूप से वर्तमान जांच अवधि में संवेदनशील और विकृत है ।

ix. जहां तक याचिका के त्रुटिपूर्ण होने संबंधी तर्क का संबंध है, यह बताया गया है कि यह निर्यातक की मात्र कल्पना है । याचिका में यह स्पष्ट है कि क्षति संबंधी सूचना 4 कंपनियों पर आधारित है ।

x. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति अवधि में मात्रा संबंधी मापदंडों में कोई क्षति नहीं हुई है, यह बताया गया है कि अधिकांश पूर्ववर्ती मामलों में प्राधिकारी ने पाया है कि उन मामलों में घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के प्रतिकूल कीमत प्रभाव को झेलना पड़ा है । उद्योग की प्रकृति को देखते हुए पाटित आयातों का प्रभाव आम तौर पर उस कीमत पर पड़ता है जिस पर घरेलू उद्योग बाजार में उत्पाद को बेचता है ।

xi. लाभप्रदता में गिरावट संबद्ध देशों और अन्य देशों से भारत में आयात कीमत के सामंजस्य में है और उसके साथ घटती-बढ़ती है ।

xii. लाभप्रदता में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है । इसके अलावा, जांच अवधि में उद्योग के निवेश पर आय भी प्राधिकारी द्वारा तर्कसंगत स्तर से कम माने गए थे ।

xiii. यद्यपि, निर्णायक समीक्षा स्तर पर कारणात्मक संबंध सिद्ध करना अपेक्षित नहीं है, तथापि, 2012-13 तक आयात कीमतों में वृद्धि के साथ लाभ और आर ओ आई में वृद्धि और आयात कीमतों में गिरावट के साथ जांच अवधि में लाभ और निवेश पर आय में गिरावट स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पाटित वस्तुओं से सीधे प्रभावित होती है ।

xiv. हितबद्ध पक्षों के तर्कों के विपरीत याचिका में केवल वे कंपनियां शामिल हैं, जो विचाराधीन उत्पाद के कम लागत वाले उत्पादक हैं ।

xv. कतर और पाकिस्तान जैसे अन्य स्रोतों संबंधी तर्क के बारे में घरेलू उद्योग अनुरोध करता है कि कतर से आयात कीमतें काफी कम थीं और इसलिए कतर के संबंध में घरेलू उद्योग ने याचिका दायर नहीं की । पाकिस्तान के संबंध में उस अवधि में पाकिस्तान से आयात मात्रा निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम थी ।

xvi. इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता उद्योग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है जबकि एल्यूमिनियम उद्योग पूर्वी तट पर स्थित है जिससे कच्ची सामग्री के परिवहन में मुश्किल होती है । प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के मौजूदा हालात पर विचार करना चाहिए और न कि आदर्श स्थितियों के अंतर्गत । इसके अलावा, घरेलू उद्योग का यह स्थिति संबंधी तर्क है कि क्षति मार्जिन को अंतरदेशीय भाड़े की लागत को शामिल करके निर्धारित किया जाना चाहिए । हितबद्ध पक्षों या निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस बात का कोई औचित्य नहीं बताया गया है कि कारखाना द्वार स्तर पर क्षति रहित कीमत की तुलना आयातों के पहुंच मूल्य के साथ क्यों की जानी चाहिए जो देश के विभिन्न पत्तनों से होता है । क्षति मार्जिन का उद्देश्य घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति की मात्रा निर्धारित करना है । घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए माल भाड़े की राशि इस प्रयोजनार्थ प्रत्यक्षत: संगत है ।

xvii. भारत में कास्टिक की खपत के इतिहास के संबंध में देश में एल्युमिनियम उद्योग की अधिकांश मांग को भारतीय उद्योग द्वारा पूरा किया जाता है । वास्तव में पहले ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें विदेशी उत्पादक ने एल्युमिनियम उद्योग से ऑर्डर लिए हैं और उसके बाद आपूर्ति घटा दी है तथा अंतत: घरेलू उद्योग को एल्युमिनियम उद्योग के बचाव के लिए आना पड़ा है ।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों के अनुरोध

55. विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

i. जांच अवधि और क्षति अवधि में मात्रा संबंधी मापदंडों पर घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है ।

ii. पाटनरोधी नियमों के अनुसार कारणात्मक संबंध का विश्लेषण किसी क्षति विश्लेषण में अंतर्निहित होता है और उसे जांच के किसी स्तर पर चाहे वह मूल जांच हो या समीक्षा, बाधित नहीं किया जा सकता है ।

iii. उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री जैसे मात्रा संबंधी मापदंडों में क्षति अवधि में कोई विकृति नहीं आई है और घरेलू उद्योग इन मापदंडों पर क्षति का दावा नहीं कर सकता है ।

iv. घरेलू उद्योग को बाजार हिस्से के कारण कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है क्योंकि बाजार हिस्से में गिरावट नगण्य है । घरेलू उद्योग द्वारा गंवाए गए बाजार हिस्से का संबद्ध आयातों से कोई सह-संबंध नहीं है ।

v. घरेलू उद्योग की मालसूची एकत्रित होना घरेलू बिक्रियों और संबद्ध आयातों के प्रभाव से असंबद्ध है ।

vi. घरेलू उद्योग लागत की तुलना में अधिक तेजी से अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम रहा है । क्षति अवधि के दौरान कीमत में कोई कटौती या न्यूनीकरण नहीं हुआ है ।

vii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच अवधि के दौरान जबरदस्त वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग के लाभ संबद्ध आयातों से पूर्णत: अप्रभावित रहे हैं और इस संबंध में किया गया क्षति के किसी दावे के लिए संबद्ध आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ।

viii. ए एम ए आई में केवल उन उत्पादकों को सामने रखा है जिनके आंकड़े क्षति को सर्वोत्तम सिद्ध करते हों ताकि इस संबंध में शुल्क को अधिकतम किया जा सके ।

ix. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत याचिका त्रुटिपूर्ण याचिका है क्योंकि यह 4 कंपनियों के क्षति संबंधी आंकड़ों पर आधारित है जबकि जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में केवल दो कंपनियां दर्शायी गई हैं ।

x. कतर और पाकिस्तान से आयात हुए हैं जो जांच अवधि में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक हैं और जो संबद्ध देशों के आयातों की मात्रा से तुलनात्मक रूप से कीमतों को पाटित कर रहे हैं ।

xi. आयात इस तथ्य के कारण हुए हैं कि अन्य देशों से कास्टिक सोडा अधिक व्यवहार्य है । भारतीय कॉस्टिक सोडा पश्चिम तट से आता है जहां याचिकाकर्ता उद्योग स्थित है जबकि एल्युमिनियम उद्योग जो भारत में कास्टिक सोडा की खपत के 20 प्रतिशत से अधिक का उपभोग करता है, पूर्वी तट पर स्थित है ।

xii. पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक परिवहन में मुश्किलें होती हैं और एल्युमिनियम निर्माता की कच्ची सामग्री की लागत बढ़ जाती है । घरेलू उत्पादक एल्युमिनियम प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित आकार के लॉट की आपूर्ति करने में असमर्थ हैं ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

56. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति पर हितबद्ध पक्षों के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में तथ्यों तथा कानून के अनुसार लागू तथ्यों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है । यद्यपि, तथ्यों और आंकड़ों से संबंधित मुद्दों पर क्षति विश्लेषण में वस्तुत: ध्यान दिया गया है, तथापि, विशिष्ट अनुरोधों की नीचे जांच और समाधान किया गया है ।

57. इस अनुरोध के संबंध में कि जाँच शुरूआत त्रुटिपूर्ण है क्योंकि केवल दो कंपनियों के नाम बताए गए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच की शुरूआत याचिका पर आधारित है जिसमें चार कंपनियों के नाम स्पष्ट रूप से दिए गए हैं।

58. इस तर्क के संबंध में कि एएमएआई ने केवल उन उत्पादकों के नाम आगे रखे हैं जिनके आंकड़े सर्वाधिक क्षति सिद्ध करते हैं ताकि शुल्क को अधिकतम किया जा सके, प्राधिकारी ऐसी कोई कमी नोट नहीं करते हैं। याचिकाकर्ता कंपनियों को भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है और इसलिए प्राधिकारी के लिए परिभाषित घरेलू उद्योग के आधार पर क्षति

विश्लेषण करना अपेक्षित है । यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में कोई सूचना नहीं है कि अन्य घरेलू उत्पादकों जो घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं हैं का कार्य निष्पादन प्राधिकारी द्वारा विचारित घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की तुलना में काफी बेहतर है ।

59. इस तर्क के संबंध में कि पश्चिमी तट पर याचिकाकर्ता उद्योग और पूर्वी तट पर एल्युमिनियम उद्योग के स्थित होने से लागत बढ़ने की समस्या उत्पन्न होती है जिससे संबद्ध देश से आयात करने पड़ते हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक उद्योग में या उपभोक्ता उद्योग में कोई ढांचागत परिवर्तन नहीं हुआ है । घरेलू उद्योग के लिए उसकी मौजूदा स्थिति पर विचार करना अपेक्षित है न कि आदर्श स्थितियों में ।

60. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच करने की कार्रवाई से पहले घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच करते हैं ।

61. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... *पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ...*"ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

62. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच के लिए संबंधित नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों पर विचार किया गया है ।

63. वर्तमान जांच लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है । नियम 23 में यह उपबंध है कि नियम 11 के उपबंध समीक्षा के मामले में भी आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे । अत: प्राधिकारी ने अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के उपबंधों पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण किया है। इसके अलावा, चूंकि विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, अत: प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच करते समय संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क पर विचार करना अपेक्षित है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या मौजूदा उपाय क्षति पहुंचाने वाले पाटन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं ।

64. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक उसे समाप्त न किया जाए, इस प्रकार लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा, परंतु यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी ।

65. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर मात्रा और कीमत प्रभावों तथा कीमतों और लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच इस बात का परीक्षण करने के लिए की है कि क्या क्षति हुई है और पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, है । प्राधिकारी ने नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनाने वाले डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड लि., गुजरात अल्कलीज एंड कैमिकल्स लि., डी सी डब्ल्यू लि. और एस आई ई एल कैमिकल कॉम्पलैक्स से संबंधित सूचना पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है। तद्नुसार, पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभाव की निम्नानुसार जांच की गई है :

मात्रात्मक प्रभाव:

पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

मांग और बाजार हिस्सा

66. प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों को जोड़कर देश में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को निर्धारित किया है । इस प्रकार आकलित मांग निम्नांकित तालिका से देखी जा सकती है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है ।

मांग

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
भारत में मांग					
घरेलू उद्योग की बिक्री (आबद्ध खपत सहित)	मी. ट.	6,90,107	7,05,003	6,87,327	7,01,086
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	102	100	102
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी. ट.	15,22,461	15,82,304	16,01,148	16,24,070
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	104	105	107
संबद्ध देशों से आयात	मी. ट.	63,105	92,384	88,886	88,154
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	146	141	140
अन्य देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	मी. ट.	1,16,588	95,627	2,39,151	1,71,922
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	7,742	31,376	38,656	44,220
कुल मांग	मी. ट.	24,00,003	25,06,694	26,55,168	26,29,453
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	104	111	110

मांग में बाजार हिस्सा

67. विभिन्न स्रोतों से आयातों और भारतीय उत्पादकों की बिक्रियों पर विचार करते हुए भारत में मांग में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से की जांच की गई है । वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
घरेलू उद्योग	%	29	28	26	27
अन्य भारतीय उत्पादक	%	63	63	60	62
संबद्ध देश	%	3	4	3	3
देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	%	5	4	9	7
अन्य देशों से आयात	%	0	1	1	2
मांग में कुल हिस्सा	%	100	100	100	100

68. उपर्युक्त से यह देखा गया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है परंतु जांच अवधि के दौरान इसमें मामूली गिरावट आई है । यद्यपि, क्षति अवधि तथा जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा लगभग स्थिर रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग के हिस्से में आधार वर्ष में 29 प्रतिशत से जांच अवधि में 27 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है । अन्य स्रोतों से आयात आधार वर्ष के दौरान 0 प्रतिशत से बढ़कर जांच अवधि में 2 प्रतिशत हो गए हैं और पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देशों से आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

69. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त रूप से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा की जांच की है (जो द्वितीयक स्रोत के आयात आंकड़ों अर्थात आई बी आई एस पर आधारित है) । सौदावार आयात आंकड़ों को वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से लिया गया है । तथापि, यह पाया गया कि डी जी सी आई एंड एस द्वारा बताई गई आयात की मात्रा आई बी आई एस की आयात की मात्रा से कम है । दोनों स्रोतों से प्रति इकाई मूल्य लगभग समान है । अत: आई बी आई एस में बताई गई आयात की मात्रा और मूल्य को अपनाया गया है । संबद्ध देशों से आयात मात्रा को निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया है जैसा नीचे तालिका में देखा जा सकता है ।

70. संबद्ध देश तथा अन्य स्रोतों से आयात की मात्रा निम्नानुसार है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
आयात मात्रा					
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	63,105	92,384	88,886	88,154
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*146*	*141*	*140*
चीन जन.गण.	मी.ट.	39,515	60,465	46,727	55,651
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*153*	*118*	*141*
कोरिया गण.	मी.ट.	23,590	31,920	42,160	32,503
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*135*	*179*	*138*
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	मी.ट.	1,16,588	95,627	2,39,151	1,71,922
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*82*	*205*	*147*
अन्य देश	मी.ट.	7,742	31,376	38,656	44,220
कुल आयात	मी.ट.	1,87,435	2,19,387	3,66,693	3,04,296
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*117*	*196*	*162*
आयातों में हिस्सा					
संबद्ध देश	%	34	42	24	29
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	%	62	44	65	56
अन्य देश	%	4	14	11	15

71. उक्त तालिका से यह देखा गया है कि संबद्ध देशों और पाटनरोधी शुल्क वाले देशों से आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में वृद्धि हुई है । अन्य देशों से आयातों में भी आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है ।

उत्पादन के संबंध में आयातों का हिस्सा

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग के उत्पादन की दृष्टि से स्थिर बने रहे हैं जैसा कि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	63,105	92,384	88,886	88,154
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मी.ट.	7,67,406	7,72,521	7,51,212	7,64,581
घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में पाटित आयात	%	8	12	12	12

कीमत प्रभाव

पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

73. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के संदर्भ में जांच की गई है । इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है । जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के लिए पाटित आयातों के पहुंच मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के निर्धारण में करो, छूटों, बट्टों और घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कमीशन को समायोजित किया गया है । कम कीमत पर बिक्री क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है इसलिए प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत ज्ञात की है और उसकी तुलना पहुंच मूल्य के साथ की है ताकि कम कीमत पर बिक्री का पता लगाया जा सके । जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन लागत पर समुचित रूप से विचार करके सिद्धांतों के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का मूल्यांकन किया गया है । यह स्थिति निम्नानुसार है ।

कीमत कटौती

74. प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में भारी मात्रा में कमी करना रहा है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती । कीमत कटौती का विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार है :-

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
कास्टिक सोडा लाई					
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति	***	***	***	***	***
चीन जन.गण.	***	***	***	***	***
आयातों की पहुंच कीमत	***	***	***	***	***
राशि कीमत कटौती	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	***	***	***	***	***
कीमत कटौती रेंज%	रेंज%	5-15	ऋणात्मक	0-10	ऋणात्मक
कोरिया गण	***	***	***	***	***
आयातों का पहुंच मूल्य	***	***	***	***	***
कीमत कटौती राशि	***	***	***	***	***

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
कीमत कटौती	***	***	***	***	***
कीमत कटौती रेंज	रेंज%	ऋणात्मक	ऋणात्मक	ऋणात्मक	ऋणात्मक
संबद्ध देश	***	***	***	***	***
आयातों का पहुंच मूल्य	***	***	***	***	***
कीमत कटौती राशि	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	***	***	***	***	***
कीमत कटौती रेंज	रेंज%	0-10	ऋणात्मक	0-10	ऋणात्मक

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
कास्टिक सोडा फ्लैक्स					
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति	रू./मी.ट.	***	***	***	***
चीन जन.गण.		***	***	***	***
आयातों का पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती राशि	रू./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती रेंज	% रेंज	ऋणात्मक	ऋणात्मक	10-20	0-10
संबद्ध देश		***	***	***	***
आयातों का पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती राशि	रू./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती रेंज	% रेंज	ऋणात्मक	ऋणात्मक	10-20	0-10

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
कास्टिक सोडा (लाई एवं फ्लैक्स)					
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति	रू./मी.ट.	***	***	***	***
चीन जन. गण.	रू./मी.ट.	***	***	***	***
आयातों का पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती राशि	रू./मी.ट.	***	***	***	***

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती रेंज	% रेंज	5-15	ऋणात्मक	0-10	ऋणात्मक
कोरिया गण.		***	***	***	***
आयातों का पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती राशि	रू./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती रेंज	% रेंज	ऋणात्मक	ऋणात्मक	ऋणात्मक	ऋणात्मक
संबद्ध देश		***	***	***	***
आयातों का पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती राशि	रू./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती रेंज	% रेंज	0-10	ऋणात्मक	ऋणात्मक	ऋणात्मक

75. उक्त तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों ग्रेड (ले और फ्लेक/ठोस) की दृष्टि से कास्टिक सोडा के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से अधिक थी । घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि प्राधिकारी को कीमत कटौती ज्ञात करने के लिए मालभाड़ा और कमीशन शामिल करना चाहिए क्योंकि आयातों में ही ये खर्च शामिल हैं । तथापि, प्राधिकारी पूर्ववर्ती प्रक्रिया के अनुसार चले हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है जिससे यह सिद्ध नहीं होता है कि आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है । चूंकि मूल शुल्क संदर्भ कीमत में था, इसलिए पाटनरोधी शुल्क सहित कटौती असंगत है ।

<u>कम कीमत पर बिक्री</u>

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है । क्षति रहित कीमत ज्ञात की गई है और कम कीमत पर बिक्री की मात्रा का पता लगाने के लिए संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत के साथ उसकी तुलना की गई है । क्षति रहित कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।।। के अनुसार पीओआई के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए किया गया है । दोनों देशों के लिए एनआईपी पर संबंधित निर्यात मात्रा के ले और फ्लेक के भारित औसत के आधार पर विचार किया गया है । विश्लेषण से पता चलता है कि संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य क्षति रहित कीमत से अधिक था, परिणामस्वरूप ऋणात्मक कम कीमत पर बिक्री हुई है जैसा नीचे तालिका से देखा जा सकता है ।

विवरण	**यू ओ एम**	**चीन जन. गण.**	**कोरिया गण.**
	जांच अवधि		
घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत	अम.डा./ मी.ट.	***	***
पाटनरोधी शुल्क रहित पहुंच मूल्य	अम.डा./ मी.ट.	***	***
पाटनरोधी शुल्क रहित कम कीमत पर बिक्री	अम.डा./ मी.ट.	***	***
पाटनरोधी शुल्क रहित कम कीमत पर बिक्री	%	***	***
पाटनरोधी शुल्क रहित कम कीमत पर बिक्री	रेंज %	ऋणात्मक	ऋणात्मक

कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

77. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या आयातों का प्रभाव भारत में समान वस्तु की कीमतों में ह्रास करना था या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना था जो अन्यथा हो गई होती । विस्तृत विश्लेषण नीचे तालिका से देखा जा सकता है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	इकाई
लाई					
बिक्री की लागत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	144	168	162
निवल बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	160	203	188
पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	180	206	204
फ्लैक्स/ठोस					
बिक्री की लागत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	142	156	146
निवल बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	153	190	176
पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	132	125	137

78. प्राधिकारी उक्त तालिका से नोट करते हैं कि लाई के मामले में बिक्री की लागत 100 से बढ़कर 162 हो गई है जबकि बिक्री कीमत 100 से बढ़कर 188 हो गई है और पहुंच कीमत 100 से बढ़कर 204 गई है जिससे पता चलता है कि कोई कीमत ह्रास नहीं हुआ है । फ्लैक/ठोस के मामले में बिक्री लागत 100 से बढ़कर 146 हो गई है जबकि बिक्री कीमत 100 से बढ़कर 176 हो गई है और पहुंच कीमत 100 से बढ़कर 137 हो गई है जिससे पता चलता है कि कोई कीमत ह्रास नहीं हुआ है ।

घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक मापदंडों की जांच

79. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा । घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है ।

उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग

80. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्राएं निम्नानुसार हैं :-

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
स्थापित क्षमता	मी.ट.	8,82,820	8,82,820	8,82,820	8,82,820
उत्पादन	मी.ट.	7,67,406	7,72,521	7,51,212	7,64,581
क्षमता उपयोग	%	86.93	87.51	85.09	86.61
कुल बिक्री	मी.ट.	6,74,436	6,83,393	6,67,864	6,87,659
लाई बिक्री	मी.ट.	4,87,315	5,16,706	5,00,033	5,18,213
फ्लैक्स/ठोस बिक्री	मी.ट.	1,87,121	1,66,687	1,67,831	1,69,446

81. प्राधिकारी उक्त तालिका से नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की क्षमता समान स्तर पर बनी हुई है । घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां क्षति अवधि के दौरान कमोवेश समान स्तर पर बनी रही हैं ।

लाभ/घाटा, निवेश पर आय और नकद प्रवाह

82. निवेश पर आय ब्याज के पूर्व और पश्चात लाभ/घाटा और नकद लाभ को नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
कर पूर्व लाभ	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	486	981	785
नकद लाभ	लाख रू.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	216	358	308
पीबीआईटी	लाख रू.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	357	651	533
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	लाख रू.	100	339	631	539

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लाभ में 2012-13 तक काफी सुधार हुआ है और उसके बाद जांच अवधि में मामूली गिरावट आई है । नकद लाभों और नियोजित पूंजी पर आय में भी लाभ जैसी प्रवृत्ति रही है । घरेलू उद्योग ने यह दलील दी है कि जांच अवधि में नियोजित पूंजी पर आय तर्कसंगत स्तर से कम थी । तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान समग्र रूप से लाभ अधिक है ।

माल सूची

84. घरेलू उद्योग की मालसूची निम्नांकित तालिका के अनुसार रही है । यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की मालसूची का स्तर जांच अवधि में गिरावट के बावजूद क्षति अवधि में बढ़ा है ।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
औसत स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*106*	*201*	*165*

रोजगार और मजदूरी

85. घरेलू उद्योग का रोजगार और मजदूरी का स्तर नीचे तालिका में दर्शाया गया है । यह देखा गया है कि मजदूरी में सामान्य मजदूरी वृद्धि प्रदर्शित हुई है और रोजगार में मामूली गिरावट आई है ।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	98	98	99
मजदूरी	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	104	104	123

उत्पादकता

86. घरेलू उद्योग की उत्पादकता नीचे तालिका में दर्शायी गई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता क्षति अवधि के दौरान उत्पादन से सुमेलित रही है और क्षति अवधि समान स्तर पर बनी हुई है ।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
प्रति दिवस उत्पादकता	मी.ट./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	104	101	103
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट./दिवस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	101	98	100

पाटन मार्जिन की मात्रा

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों का पाटन मार्जिन ऋणात्मक है ।

वृद्धि

88. घरेलू उद्योग की वृद्धि में 2012-13 तक कीमत मापदंडों में सकारात्मक प्रदर्शन रहा है और जांच अवधि में गिरावट आई है जबकि मात्रात्मक मापदंड क्षति जांच अवधि के दौरान कमोवेश समान स्तर पर रहे हैं ।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि					
उत्पादन	%	-	0.67	(2.76)	1.78
घरेलू बिक्री मात्रा लाई	%	-	5.42	(3.07)	3.69

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
औसत स्टॉक लाई	%	-	(11.33)	153.81	(20.89)
घरेलू बिक्री की लागत	%	-	44.03	16.60	(3.55)
घरेलू बिक्री कीमत लाई	%	-	60.02	26.59	(7.39)
घरेलू बिक्री मात्रा फ्लैक्स	%	-	(10.18)	(4.67)	0.14
औसत स्टॉक फ्लैक्स	%	-	5.42	22.91	(11.19)
घरेलू बिक्री मात्रा फ्लैक्स	%	-	42.26	9.51	(6.13)
घरेलू बिक्री कीमत फ्लैक्स	%	-	53.27	23.69	(7.23)
नियोजित पूंजी पर आय (एनएफए आधारित)	%	-	7.30	9.01	(2.96)

पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

89. पाटन की स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को घरेलू उद्योग के घटकों के बहु उत्पाद कंपनियां होने के कारण असंगत समझा गया है।

क्षति का समग्र आकलन

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की मात्रा में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि दोनों तरफ से क्षति अवधि में गिरावट आई है। कीमतों पर आयातों के प्रभाव के संबंध में प्रतिवादी निर्यातकों और असहयोगी निर्यातकों के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से अधिक रही थी जिसके परिणामस्वरूप ऋणात्मक कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री प्रदर्शित हुई।

क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा

91. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। इस प्रकार निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है जो निम्नानुसार है :-

क्षति मार्जिन तालिका

क्षति मार्जिन तालिका

देश	उत्पादक/निर्यातक	क्षति रहित कीमत अम.डॉ./डीएमटी	पहुंच कीमत अम.डॉ./डीएमटी	क्षति मार्जिन अम.डॉ./डीएमटी	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन रेंज (%)
कोरिया गण.	हान्वा कैमिकल कॉर्पो. (उत्पादक) – हान्वा कॉर्पो. और ट्रिकॉन एनर्जी लि. (निर्यातक)	***	***	***	***	(10-20)
	कोई अन्य समूह	***	***	***	***	5-10
चीन जन.गण. देश	शंघाई क्लोर अल्कली (उत्पादक) और ट्रिकोन ओवरसीज (निर्यातक)	***	***	***	***	(0-10)

	तियानजिन डागू (उत्पादक) तथा ट्रिकोन एनर्जी लि. या ट्रिकोन ओवरसीज (निर्यातक)	***	***	***	***	(0-10)
	अन्य कोई संयोजन	***	***	***	***	5-15

कारणात्मक संबंध

92. नियमावली में प्राधिकारी के लिए पाटित आयातों और पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करना अधिदेशित है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या निम्नलिखित ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है जो निम्नानुसार है :

i. पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य : प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनेक अन्य प्रमुख स्रोतों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है। ईरान से आयातों पर पहले पाटनरोधी शुल्क लागू था। तथापि, प्राधिकारी ने यह मानते हुए निर्णायक समीक्षा जांच नहीं की कि ईरान से आयातों की मात्रा कम थी और उसके बढ़ने की कोई खास संभावना नहीं थी। तथापि, यह देखा जाता है कि ईरान से आयातों की मात्रा अब काफी अधिक है। घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि ईरान से आयात भी पाटित कीमतों पर हैं और पाटनरोधी शुल्क ईरान से आयातों पर पुन: लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है और प्राधिकारी के लिए पाटन और क्षति की संभावना पर ध्यान देना अपेक्षित है। अन्य स्रोतों से पाटन पर वर्तमान याचिका में ध्यान नहीं दिया जा सकता।

ii. मांग में कमी : प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में कोई कमी नहीं हुई है क्योंकि देश में संबद्ध वस्तु की मांग पूरी क्षति अवधि में संगत रूप से बढ़ती रही है।

iii. खपत की प्रवृत्ति : यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तु की खपत की प्रवृति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

iv. प्रतिस्पर्धा की स्थिति : प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच में ऐसी स्थितियां दिखाई नहीं दी हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं घरेलू उद्योग की दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी हैं।

v. प्रौद्योगिकी में विकास : प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच में यह पता नहीं चला है कि प्रौद्योगिकी में कोई खास परिवर्तन हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

vi. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन : प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनियां कुछ मात्रा का निर्यात कर रही हैं। तथापि, क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू प्रचालनों के लिए दी गई है।

vii. घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन : प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के अलग रिकॉर्डों को नोट किया। अन्य उत्पादों के कार्य निष्पादन की वजह से घरेलू उद्योग की क्षति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष :

93. प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हो रही है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई खास कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण का प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पाटन और क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति की संभावना

घरेलू उद्योग के अनुरोध

94. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

i. इस उत्पाद का एक दशक से अधिक के लिए देश में लगातार और पुन: पाटन का काफी लंबा इतिहास रहा है। उत्पाद की कीमत आपूर्तिकर्ता द्वारा मौके पर आयातों के आधार पर निर्धारित की जाती है। भारी वैश्विक आधिक्य को देखते हुए बाजार में पाटन में वृद्धि हुई है। इन परिस्थितियों में इस उत्पाद के ऐसे देशों जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है, से लिया जा रहा है।

ii. घरेलू उद्योग ने जब भी किसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समस्या हुई है तो निरंतर पाटन का सामना किया है । शुल्क लागू होने के बाद भी आयातों में भारी वृद्धि हुई है ।

iii. पूर्ववर्ती जांचों में भारी पाटन मार्जिन सिद्ध हुआ है । वर्तमान जांच के लिए पाटन मार्जिन भी काफी अधिक है ।

iv. 2002 में आरंभिक गिरावट के बाद आयातों की मात्रा में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि वर्ष 2009-10 में रक्षोपाय शुल्क लगाना पड़ा । तत्पश्चात स्थिरीकरण के बाद अब भारी वृद्धि हुई है जिसके संबद्ध देशों के पास उपलब्ध भारी आधिक्य क्षमता को देखते हुए शुल्क समाप्ति की स्थिति में जारी रहने की संभावना है ।

v. हरीमन कैमसुल्ट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चीन और कोरिया के पास आधिक्य क्षमताएं हैं ।

vi. संबद्ध देशों में मांग के संबंध में आधिक्य क्षमताएं जो उत्पादकों द्वारा निर्मित हैं, उनके निर्यातोन्मुख होने को दर्शाती हैं । इससे शुल्क समाप्ति की स्थिति में भारत में अत्यधिक निर्यात होने की संभावना है ।

vii. चीन और कोरिया दोनों के मामले में तीसरे देशों को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन काफी अधिक पाया गया है । पाटित आयातों का हिस्सा भी काफी अधिक है ।

viii. लंबे समय से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि घरेलू उद्योग पटित आयातों से क्षति के प्रति संवेदनशील है ।

ix. इस तर्क के संबंध में कि आयातों में वृद्धि का पाटन या क्षति से कोई सह-संबंध नहीं है । यह अनुरोध किया गया है कि निर्यातक देश में क्षमताओं के संबंध में याचिकाकाकर्ता का दावा हरिमन कैमसुल्ट के आंकड़ों पर आधारित है । निर्यातक देशों से आयातों और निर्यातों के दावे निर्यातक देशों के सीमाशुल्क आंकड़ों पर आधारित हैं । इसलिए याचिकाकर्ता ने अपने दावों को विधिवत रूप से सही ठहराया है । इसके अलावा, निर्यातक का यह तर्क नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त कोई भी आंकड़ा वास्तविक रूप से सही नहीं है ।

x. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क की समाप्ति पर भारत को निर्यातों की कोई श्रृंखला होने का कोई साक्ष्य नहीं है, याचिकाकर्ता ने बताया है कि याचिकाकर्ता का दावा सरल व्यावसायिक मान्यता पर आधारित है कि उत्पादक अपने उत्पादन को ईष्टतम बनाना चाहते हैं और हमेशा बाजार अवसरों को देखते रहते हैं । यदि घरेलू उद्योग आयात कीमतों के बराबर कीमतें नहीं रखता है तो भारतीय बाजार में आयातों की बाढ़ आ जाएगी । इस प्रकार की प्रवृत्ति बिल्कुल हाल की अवधि में आयातों से सिद्ध होती है ।

xi. याचिकाकर्ता इस तर्क से सहमत हैं कि कम प्राप्ति के किसी बाजार में बिक्रियों में वृद्धि करने में कोई वाणिज्यिक समझदारी नहीं है जबकि चीनी और कोरियाई उत्पादकों के लिए उच्चतर प्राप्ति वाली वैश्विक मांग उपलब्ध है । तथापि, तथ्य इस तर्क से बिल्कुल अलग है । क्या संबद्ध निर्यातक तीसरे देशों से बेहतर कीमत प्राप्त कर रहे हैं । इस बात का सत्यापन तीसरे देशों को चीन और कोरिया से निर्यातों के सौदेवार ब्यौरे से किया जा सकता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा की प्रश्नावली में इन अपेक्षाओं को विहित किया है । किसी भी निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह सूचना नहीं दी है क्योंकि उन्हें डर है कि इस सूचना से यह पता चल जाएगा कि अनेक तीसरे देशों को उनके निर्यात भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर हुए हैं ।

xii. इस दलील के संबंध में कि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन उत्साहजनक रहा है जो बिल्कुल संवेदनशील नहीं है । यह बताया गया है कि वर्तमान पीओआई में आयात कीमत में कटौती, कीमत कटौती, लाभ में गिरावट, वर्तमान पीओआई में निवेश पर आय में कमी, निर्यातक देशों में आधिक्य क्षमताएं, अन्य देशों को संबद्ध देशों से निर्यात की वर्तमान प्रवृत्ति समग्र रूप से दशाती है कि घरेलू उद्योग भारी क्षति के प्रति संवेदनशील है । यह बात जांच अवधि के बाद भी सिद्ध हुई है जिसमें संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयातों में भारी वृद्धि स्पष्टत: दिखाई दी है ।

xiii. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध देशों से आयात की कीमतें अन्य देशों की तरह समान स्तर पर है । यह बताया गया है कि यह तर्क भी इस बात को सिद्ध करता है कि निर्यातकों के पास अन्य देशों की कीमतों को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है । ऐसी प्रतिस्पर्धी बाजार दशाओं में जो भी कम कीमत रखता है, उसे आर्डर मिलता है ।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

95. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पाटन और क्षति की संभावना के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. आवेदकों का यह दावा कि इस उत्पाद के पाटन का लंबा इतिहास रहा है और यदि शुल्क हटाया जाता है तो यह पाटन और क्षति जारी रहेगी । संभावना की जांच को ऐसी कल्पना पर अनुमान पर आधारित नहीं किया जा सकता है।

ख. वर्तमान जांच में सहयोगी निर्यातकों का ''पाटन नहीं'' करने का लंबा इतिहास रहा है जिसके द्वारा इस मापदंड को अस्वीकार किया जाना चाहिए ।

ग. आवेदकों का यह दावा कि मूल शुल्क लगाने से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जिसके द्वारा क्षति की संभावना है, पाटन या क्षति में किसी वास्तविक सह-संबंध के बिना है ।

घ. आवेदकों द्वारा समग्र आयातों का प्रदर्शन करना प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास है । 2006-07 से मात्राओं में स्पष्ट कटौती हुई है और हाल की वृद्धि भी मांग में वृद्धि के अनुरूप रही है ।

ङ. आवेदकों के पास संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य वर्तमान और भावी क्षमताओं के अपने दावे को सही ठहराने का कोई साक्ष्य या वास्तविक स्रोत नहीं है । यदि आधिक्य क्षमताएं होती भी हैं तो यह दर्शाने का कोई साक्ष्य नहीं है कि शुल्क हटने से आधिक्य क्षमताओं का भारत को श्रृंखलाबद्ध निर्यात किया जाएगा ।

च. भारत को निर्यातक की बिक्रियां वर्तमान जांच के पूरे इतिहास के दौरान गैर पाटित उचित कीमतों पर रही है । यद्यपि, निर्यातकों ने शून्य शुल्क मार्जिन रखा है ।

छ. संबद्ध देशों से भारी निर्यात और तीसरे देशों में उनके पाटन के बारे में आवेदक का दावा किसी स्रोत या साक्ष्य के बिना है और इसलिए वह अनुमान है और अस्वीकृत करने लायक है ।

ज. घरेलू उद्योग की संवेदनशीलता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा कोई मात्रात्मक क्षति हुई प्रतीत नहीं होती है । लाभप्रदता अधिक है, कीमतों में लागत से बेहतर वृद्धि हो रही है और ऊपर दिए गए विश्लेषण के अनुसार घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर संबद्ध आयातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । यह दावा करना गलत है कि घरेलू उद्योग संवेदनशील है जबकि वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में उसका कार्य निष्पादन जबरदस्त रहा है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

96. वर्तमान जांच चीन जन.गण. और कोरिया गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है । नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को लागू रखना आवश्यक है । इसमें इस बात की जांच करना भी अपेक्षित है कि क्या लागू शुल्क क्षतिकारी पाटन को समाप्त करने के अपने लक्षित प्रयोजन को सिद्ध कर रहे हैं । जहां तक संभावना विश्लेषण का संबंध है, घरेलू उद्योग ने पाटन और परिणामी क्षति की संभावना के अपने तर्क को संबद्ध देशों में मांग के संदर्भ में आधिक्य क्षमताओं के आधार पर आधारित किया है जिससे उनका निर्यातोन्मुख होना और भारतीय बाजार का कीमत आकर्षक होना प्रदर्शित होता है ।

चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य में आधिक्य क्षमता

97. किसी स्वतंत्र स्रोत हरीमन केमसुल्ट लि. 2010 से घरेलू उद्योग क्षरा प्राप्त आकड़ों/साक्ष्यों से यह देखा जाता है कि चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के पास भारत में मांग की तुलना में कास्टिक सोडा की भारी आधिक्य क्षमता है।

भारतीय बाजार का कीमत आकर्षण

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य और चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातकों के संबंध में जाँच अवधि में पाटन और क्षति मार्जिन ऋणात्मक है। प्राधिकारी ने नोट किया कि कोरिया गणराज्य के प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में पूर्ववर्ती जाँच में शुल्क शून्य था। अत: पुराने शुल्क को जारी रखने की संभावना का निर्धारण करने का प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, जाँच अवधि में कोरिया गणराज्य से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों से इतर स्रोतों से पाटित आयात जारी हैं और अन्य स्रोतों के संबंध में पाटन मार्जिन काफी अधिक है। प्राधिकारी ने कोरिया

गणराज्य के संबध में संभावना संबंधी विश्लेषण किया है ताकि यह देखा जा सके कि क्या शुल्क हटाये जाने से उत्पाद का पाटन होना जारी रहने की संभावना है। तथापि, यह भी देखा गया है कि वर्ल्ड ट्रेड एटलस आंकड़ों के अनुसार कोरिया गणराज्य से भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका आदि को औसत निर्यात कीमत भारत को औसत निर्यात कीमत से काफी कम है। अत:, कोरिया गणराज्य से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों से इतर स्रोतों से निर्यातों के पाटित कीमतों पर भारत में निर्यात किए जाने की संभावना है। जहां तक चीन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिवादी उतपादकों/निर्यातकों के संबंध में जाँच अवधि में पाटन और क्षति मार्जिन ऋणात्मक है और इन उत्पादकों/निर्यातकों ने पूर्ववर्ती जाँच में उत्तर नहीं दिया है। तथापि, जाँच अवधि में चीन से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों से इतर स्रोतों से पाटित आयात जारी हैं और अन्य स्रोतों के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन काफी अधिक है। वर्ल्ड ट्रेड एटलस आंकड़ों में दर्शाया गया है कि जाँच अवधि के दौरान चीन से वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को औसत कीमत *** अम. डा. प्रति किग्रा. रही थी, जो भारत को चीन से औसतन निर्यात कीमत (*** अम. डा.) से कम थी। आंकड़े दर्शाते हैं कि चीन से अधिकांश देशों जिनकी अर्थव्यवस्था भारत जैसी है जैसे फिलीपीन्स, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि निर्यात भारत को औसत निर्यातक कीमत से और भी कम कीमत पर किया गया है। अत:, चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों से इतर स्रोतों से निर्यातों के पाटित कीमतों पर भारत में निर्यात किए जाने की संभावना है।

झ. <u>भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे</u>

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन, सामान्यत:, पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं घरेलू उद्योग को कारित की जा रही क्षति का उपशमन करना है जिससे कि भारतीय बाजार में मुक्त और पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा पुन: स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण संबद्ध देश से आयातों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करेगा और इसलिए उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

100. ऐसा माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण संबद्ध वस्तु का प्रयोग करके विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित करेगा और इसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद की संगत प्रतिस्पर्धात्मता पर कुछ प्रभाव पर अवश्य पड़ेगा। तथापि, पाटनरोधी शुल्क द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, खासकर तब जब पाटनरोधी शुल्क का उद्ग्रहण घरेलू उद्योग को क्षति का प्रशमन करने के लिए आवश्यक राशि तक प्रतिबंधित हो। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन की प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ दूर करेगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन में आने वाली गिरावट को कम करेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता करेगा।

ट. <u>प्रकटन विवरण के बाद हितबद्ध के अनुरोध</u>

ट.1 <u>प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रकटन विवरण के बाद के अनुरोध</u>

101. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए प्रकटन विवरण के बाद के अनुरोध संक्षेप में निम्नानुसार हैं :-

i. वर्तमान जाँच में उपलब्ध कराई गई अगोपनीय याचिका ने लागत से संबंधित कोई सूचना सार रूप में प्रकट नहीं की गई है। याचिका के लागत खंड के भाग के रूप में कोई सूचीबद्ध या रेंज आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

ii. चूंकि नालको एक सरकारी कंपनी है, निविदाओं का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के नियमों और मानकों पर आधारित है, जिनके द्वारा नालको के अंतिम निर्णय में संगत वाणिज्यिक और तकनीकी मापदंड प्रासंगिक है। इस प्रकार, विशेष रूप से सहयोगी निर्यातकों से घरेलू उद्योग को क्षति संबंधी विस्तृत तथ्यों के बिना इस मुद्दें संबंधी कोई निष्कर्ष समयपूर्व होगा।

iii. प्राधिकारी ने माना है कि क्लोरिन को एक संयुक्त या उप-उत्पाद के रूप में व्यवहार मांग पर आधारित न होकर, उत्पादों के सापेक्ष मूल्य पर आधारित होता है। तद्नुसार, क्लोरिन की बिक्री पर उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित कीमत सापेक्ष रूप से कम है। यदि भारत में क्लोरिन के लिए मांग अधिक होती है तो इसकी कीमत अधिक होगी और सापेक्ष मूल्य भी अधिक होगा। वास्तव में, क्लोरिन का सापेक्ष मूल्य उच्चतर मांग के कारण सामान्यत: विश्वभर में अधिक है जिसके द्वारा इसे विश्वभर में अधिकांश कंपनियों क्षरा उप-उत्पाद माना जाता है। फिर भी, कास्टिक सोडा के लिए क्लोरिन की कीमतों के समायोजन के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ।।। का पालन किया जाना चाहिए।

iv. सहयोगी निर्यातक सहयागी रहे हैं और उन्होंने भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन नहीं किया है। तद्नुसार, सहयोगी निर्यातक प्राधिकारी से वर्तमान निर्णायक समीक्षा में शुल्क के उनके शून्य मार्जिन को बनाए रखने का अनुरोध किया है।

v. सहयोगी निर्यातकों ने बताया है कि घरेलू उद्योग को जाँच अवधि और क्षति अवधि में विशेष रूप से सहयोगी निर्यातकों द्वारा निर्यातों के मामले में कीमत या मात्रा संबंधी मापदंडों में कोई क्षति नहीं हुई है।

vi. कारणात्मक संबध के बारे में, चूंकि सहयोगी निर्यातक जाँच अवधि या जाँच अवधि के बाद न तो पाटन कर रहे हैं न ही घरेलू उद्योग को क्षति पंहुचा रहे हैं इसलिए कारणात्मक संबंध में स्पष्ट व्यवधान हुआ है। जहां तक कारणात्मक संबंध के विश्लेषण का संबंध है, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस मामले के तथ्यों के भीतर लागू कारकों या मापदंडों के विश्लेषण में प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और तद्नुसार, इस निष्कर्ष पर पंहुचे हैं कि क्या कारणात्मक संबंध के प्रभाव पर सही ढ़ग से विचार किया गया है।

vii. जहां तक सहयोगी निर्यातकों का संबंध है, यह पहले ही बताया गया है कि वे न केवल इस जाँच में बल्कि संबद्ध वस्तु से संबंधित पूर्व में समपन्न जाँचों में भी न तो पाटन करते रहे हैं और न ही घरेलू उद्योग को क्षति पंहुचा रहे है। अत: संभावना विश्लेषण के लिए आकलन के संबंध में प्राधिकारी का निष्कर्ष सही है। .

ट.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण के बाद के अनुरोध</u>

102. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण के बाद संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

i. विचाराधीन उत्पाद को उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया जाना जारी है जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध देशों से पाटन हो रहा है।

ii. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनो काफी अधिक और सकारात्मक है जिसका अर्थ पाटन की संभावना और उसका तेज होना और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होना है।

iii. कास्टिक सोडा पर पाटनरोधी शुल्क को आगे पाँच वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है।

iv. प्राधिकारी ने पाया कि भागीदार निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन ऋणात्मक है। याचिकाकर्त्ता प्रकटन विवरण में दिए गए निष्कर्ष पर पुरजोर आपत्ति जताते हैं और प्राधिकारी से इस मामले की पुन: जाँच करने का अनुरोध करते हैं। यह स्पष्ट है कि इस अवधि के दौरान ट्रिकॉन द्वारा किए गए संचली निर्यात भागीदार उत्पादकों द्वारा उत्पादति वस्तुओं के संचली निर्यातों से काफी अधिक हैं। संभवत: ट्रिकॉन ने भारत में गैर संबद्ध देशों से उत्पादित कास्टिक सोडा की भारत में आपूर्ति की हो। काफी संभावना है कि ट्रिकॉन ने सहयोगी उत्पादक से सामग्री को खरीदा हो और उसे तीसरे देशों को बेचा हो। इस प्रकार ट्रिकॉन के लिए यह काफी व्यवहार्य है कि वह ट्रिकॉन द्वारा की गई अनेक खरीदों के आधार पर कीसी कीमत का दावा किया हो। इन परिस्थितियों में, ट्रिकॉन की बिक्री कीमत पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए पूर्णत: अवास्तविक हो जाती है। केवल भागीदार उतपादकों की बिक्री कीमत को ही पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए आधार होना चाहिए।

v. याचिकाकर्त्ता प्राधिकारी से विदेशी उत्पादकों के असहयोग पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भारत में उच्चतम उत्पादन लागत पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। यदि निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए भारत में न्यूनतम आयात कीमत को अपनाया जा सकता है तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भारत में उच्चतम उत्पादन लागत को अपनाया जाना चाहिए।

vi. प्राधिकारी ने असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ भारत में सूचित न्यूनतम आयात कीमत को नहीं अपनाया है। असहयोगी निर्यातकों की निर्यातक कीमत भागीदार/सहयोगी निर्यातकों की निर्यात कीमत में परिलक्षित नहीं होती है। असहयोगी निर्यातकों की निर्यात कीमत भारतीय आयात आंकड़ों में प्रदर्शित होती है। अत: असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ भारतीय आयात आंकड़ों में बताई गई न्यूनतम आयात कीमत को अपनाया जाना चाहिए। यही पद्धति प्राधिकारी द्वारा चीन से नायलॉन टायर कोर्ड फेब्रिक सहित पूर्व में अनेक मामलों में अपनाई गई है।

vii. क्षतिरहित कीमत का गलत निर्धारण: वास्तविक उत्पादन की उपेक्षा करना और क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए किसी अन्य उत्पादन आधार को अपनाया जाना उचित होगा। प्राधिकारी ने उत्पादन लागत पर विद्युत पर गलत ढंग से विचार किया है।

viii. क्षति मार्जिन का निर्धारण - तुलना संबंधी उचित सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया-क्षति मार्जिन के लिए करों और शुल्कों को शामिल करने की जरूरत है।

ix. पाटनरोधी शुल्क को स्थिर रूप में जारी रखा जाना अपेक्षित है और शुल्क को अम. डा. के रूप में दर्शाया जाए।

ट.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

103. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों के उक्त तर्कों की जांच की है और नोट किया कि इनमें से कुछ दोहराए गए हैं और उन पर प्राधिकारी ने पहले ही प्रकटन विवरण में विचार किया है । तथापि, संगत समझे गए अनुरोधों पर अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में निम्नानुसार पुन: विचार किया जा रहा है:

क. मूल्य श्रृंखला के लिए पूरी सूचना प्रतिवादी निर्यातकों-उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई है। इसके अलावा, चूंकि, ट्रिकॉन एकमात्र व्यापारी है इसलिए, सामान्य मूल्य उद्गम के देश पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निर्यात के देश पर विचार नहीं किया जा सकता है। यदि ट्रिकॉन ने संबद्ध और गैर-संबद्ध देशों में अनेक उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करता है तो निर्यातक को जब तक उत्पादक असंबंधित हो प्रत्येक श्रृंखला के लिए अलग पाटन मार्जिन के हकदार हैं। प्राधिकारी ने केवल तभी विभिन्न उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तु के लिए किसी निर्यातक एक लिए भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया है जब ऐसे उत्पादक असंबंधित हों। तथापि, यदि उत्पादक संबंधित नहीं हों तो प्राधिकारी ने प्रत्येक सहयोगी उत्पादक के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करते रहे हैं चाहे उनके बीच निर्यातक एक ही रहा हो। इसके अलावा, प्राधिकारी ने केवल उसी मूल्य श्रृंखला के लिए अलग पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और पाटन रोधी शुल्क निर्धारित किया है जिनके लिए उत्तर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार निर्धारित पाटनरोधी शुल्क की केवल उसी मूल्य श्रृंखला विशेष के लिए सिफारिश की गई है।

ख. इसके अलावा घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबध में कि ट्रिकॉन ने उनके द्वारा की गई अनेक खरीदों के आधार पर किसी कीमत का दावा किया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ट्रिकॉन द्वारा हानवा से खरीदी गई संबद्ध वस्तु वास्तव में भारत को निर्यातित हुई है। अत: ट्रिकॉन द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत वास्तविक आकड़ों पर आधारित है। इसलिए इस संबंध में घरेलू उद्योग की आशंका निराधार है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हानवा-ट्रिकॉन संयोजन के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को केवल हानवा से खरीदी गई और ट्रिकॉन द्वारा भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तु पर विचार करते हुए ही सही ढंग से निर्धारित किया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ, वह कीमत जिसपर संबद्ध वस्तु वास्तव में हानवा द्वारा ट्रिकॉन को भारत में निर्यात करने के लिए बेची गई थी, पर विचार किया गया है। तथापि, पंहुच मूल्य और क्षति मार्जिन की गणना करने के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने उस कीमत पर विचार किया है जिसपर हानवा से ट्रिकॉन द्वारा खरीदी गई संबद्ध वस्तु ने भारत में प्रवेश किया था जो प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली संगत प्रक्रिया है। अत:, घरेलू उद्योग के इस अनुरोध में कोई सच्चाई नहीं है।

ग. सहयोगी और असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकों-निर्यातकों द्वारा रखे गए रिकॉर्डों के आधार पर या भारत में उत्पादन की न्यूनतम लागत पर विचार करते हुए परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की संगत प्रक्रिया रही है। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में भी संगत प्रक्रिया का पालन किया है। जहां तक इस तर्क का संबंध है कि भारतीय आयात आंकड़ों में बताई गई न्यूनतम आयात कीमत को असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन को निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ अपनाया जाना चाहिए जैसा एनटीसीएफ में इस संदर्भ में किया गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उस मामले में उन्होंनें उस सिद्धांत को अपनाया था क्योंकि सहयोगी निर्यातकों के आंकड़ों को उनके परिसर में सत्यापन के बजाय तालिका अध्ययन के आधार पर स्वीकार किया गया था। चूंकि, वर्तमान मामले में भी, प्राधिकारी ने तालिका अध्ययन के आधार पर सहयोगी निर्यातकों के आंकड़ों को स्वीकार किया है, इसलिए प्राधिकारी ने इस संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध को स्वीकार किया है और तदनुसार, आईबीएसआई आकड़ों में बताई गई न्यूनतम आयात कीमत का पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। यह इस तर्काधार पर आधारित है कि दो स्थितियों की समानता

तालिका अध्ययन पर आधारित है। तथापि, यदि किसी मामले में वास्तविक स्थल पर सत्यापन किया जाता और दूसरे में तालिका अध्ययन किया जाता है तो सत्यापित स्थल आंकड़े लागू होंगे।

घ. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग की दलीलों के संबंध में प्राधिकारी ने यह माना है कि क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए अनुबंध-।।। को लागू किया जाना अपेक्षित है।

ङ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि दिनांक 26 नवंबर, 2012 की अधिसूचना सं. 49/2012-सी.शु. द्वारा सऊदी अरब, यूएसए और ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों पर शुल्क लागू है । इसके अलावा, दिनांक 23 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 79/2011-सी.शु. द्वारा थाइलैंड, चीनी ताइपेयी और नार्वे के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों पर भी शुल्क लागू है ।

ठ. निष्कर्ष :

104. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों और घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना और किए गए अनुरोधों और इन अंतिम जाँच परिणामों में अभिलिखित प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने और पाटन तथा क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की स्थिति के उक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी के निष्कर्ष ये हैं कि:

(i) विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों के असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा भारत को इसके सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात किया जाना जारी है जिसके परिणामस्वरूप पाटन और क्षति हुई है

(ii) संबद्ध देशों के असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों काफी अधिक और सकारात्मक है, जिसका अर्थ है कि तीव्र पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की संभावना है।

(iii) भारत को संबद्ध देशों के असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क की अवधि को आगे पाँच वर्षों की अवधि की लिए बढाए जाने की आवश्यकता है।

ठ. <u>सिफारिशें</u>

105. उपर्युक्तानुसार निष्कर्ष के पश्चात प्राधिकारी की यह राय है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए पाटनरोधी उपाय की सिफारिश किया जाना अपेक्षित है।

106. प्राधिकारी द्वारा अपेक्षाकृत कम शुल्क संबंधी नियम का अनुपालन किए जाने के संबंध में, प्राधिकारी पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन में से अपेक्षाकृत कम मार्जिन के समान पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर नीचे दी गई तालिका में इंगित राशि के बराबर पाटन शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वस्तुओं का वर्णन	विनिर्देशन	मूलता का देश*	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि(अम. डा./डीएम टी)	माप की इकाई	मुद्रा
1	281511 और 281512	कास्टिक सोडा	कोई ग्रेड	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	मै. हानवा कैमिकल कार्पो.	ट्रिकॉन एनर्जी लि., यूएसए	शून्य	ड्राई मीट्रिक टन	अम. डा.
2	281511 और 281512	कास्टिक सोडा	कोई ग्रेड	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	क्रम सं. 1 से इतर कोई समूह		21.90	ड्राई मीट्रिक टन	अम. डा.
3	281511 और	कास्टिक सोडा	कोई ग्रेड	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य से इतर	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	21.90	ड्राई मीट्रिक टन	अम. डा.

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वस्तुओं का वर्णन	विनिर्देशन	मूलता का देश*	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि(अम. डा./डीएम टी)	माप की इकाई	मुद्रा
	281512				कोई देश					
4	281511 और 281512	कास्टिक सोडा	कोई ग्रेड	संबद्ध देशों से इतर कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	21.90	ड्राई मीट्रिक टन	अम. डा.
5	281511 और 281512	कास्टिक सोडा	कोई ग्रेड	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मै. शंघाई क्लोर-अल्कली कैमि. कं. लि.	ट्रिकॉन ओवरसीज इंक., यूएसए	शून्य	ड्राई मीट्रिक टन	अम. डा.
6	281511 और 281512	कास्टिक सोडा	कोई ग्रेड	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मै. तियाजिन दागू कैमिकल कंपनी लि.	ट्रिकॉन एनर्जी लि., यूएसए	शून्य	ड्राई मीट्रिक टन	अम. डा.
7	281511 और 281512	कास्टिक सोडा	कोई ग्रेड	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मै. तियाजिन दागू कैमिकल कंपनी लि.	ट्रिकॉन ओवरसीज इंक., यूएसए	शून्य	ड्राई मीट्रिक टन	अम. डा.
8	281511 और 281512	कास्टिक सोडा	कोई ग्रेड	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	क्रम सं. 5, 6 और 7 से इतर कोई समूह		48.39	ड्राई मीट्रिक टन	अम. डा.
9	281511 और 281512	कास्टिक सोडा	कोई ग्रेड	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. से इतर कोई देश	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	48.39	ड्राई मीट्रिक टन	अम. डा.
10	281511 और 281512	कास्टिक सोडा	कोई ग्रेड	संबद्ध देशों से इतर कोई देश	चीन जन. गण.	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	48.39	ड्राई मीट्रिक टन	अम. डा.

*नोट: यदि अलग-अलग सीमाशुल्क अधिसूचनाओं में किसी संबद्ध देश के संबंध में संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का अतिव्यापन होता है तो संबद्ध देश पर वह शुल्क लागू होगा जो ''उद्गम के देश'' कॉलम के अंतर्गत विशेष रूप से उल्लिखित उक्त देश वाली सीमाशुल्क अधिसूचना में उस पर लगाया गया हो ।

107. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का उतराई मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलनीय मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्क को छोड़कर सीमाशुल्क के सभी शुल्क शामिल होंगे।

108. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना से जारी केंद्रीय सरकार के आदेशों के विरूद्ध सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद कर और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में एक अपील दायर की जा सकती है।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2015

(FINAL FINDINGS)

Subject: Sunset Review (SSR) anti-dumping investigation concerning imports of Caustic Soda, originating in or exported from China PR and Korea RP.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 15/23/2013-DGAD.—Whereas the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) had initiated the original investigation concerning imports of "Caustic Soda" (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from the China PR and Korea RP (hereinafter also referred to as the subject countries) vide notification No.15/23/2013-DGAD dated 14th May, 2002. The Authority issued Final Findings vide Notification No. 14/10/2002- DGAD dated 4th August, 2003 recommending to the Central Government imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject countries. Definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government vide Notification No. 142/2003-Customs dated the 23rd September, 2003 on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.

2. Whereas, in terms of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition.

3. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. Whereas, sunset review of the anti-dumping duty so imposed against the subject countries was initiated by the Authority and the final findings recommending extension of the revised duty were issued vide Notification No. 15/11/2007- DGAD dated 21st November, 2008. Antidumping duty was extended by the Central Government on the subject goods originating in or exported from the subject countries vide Customs Notification No. 137/2008 dated 26th December, 2008.

5. Whereas, the Authority conducted a midterm review investigation against the imports of the subject goods from Korea RP, Saudi Arabia and the USA and the revised anti-dumping duties were recommended vide Final Findings Notification No. 15/2/2010-DGAD dated 7th July, 2011. The revised definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government vide Notification No. 95/2011-Customs dated 3rd October, 2011.

6. Whereas, M/s Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI) (hereinafter also referred to as the applicants or the petitioners or the domestic industry) on behalf of the manufacturers of Caustic Soda representing the Domestic Industry in India approached the Authority with a duly substantiated application requesting for sunset review of the anti dumping duties earlier imposed on imports of Caustic Soda originating in or exported from China PR and Korea RP and seeking continuation of anti dumping duty on the imports originating in or exported from the subject countries. The request was based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of anti dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject countries as the form and quantum of anti dumping duty in force has been insufficient. The applicants further argued that expiry of the measure against the subject countries likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

7. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry and in accordance with section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a sunset review investigation vide Notification No. 15/23/2013-DGAD dated 19th December, 2013 to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

8. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

B. PROCEDURE

9. The procedure described below has been followed in this investigation:

i. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of application alleging dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries before proceeding to initiate the investigation in accordance with the Antidumping Rules.

ii. The Authority issued a public notice No. 15/23/2013-DGAD dated 19th December, 2013 published in the

Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review of anti dumping investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

iii. The Authority forwarded a letter along with copy of the public notice to all the known exporters and other interested parties/industry associations (whose details were made available by the domestic industry) and gave them opportunity to make their views known in writing within the prescribed time limits in accordance with the anti-dumping rules.

iv. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known exporters of the subject countries and the embassies of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non- confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.

v. Copies of the letter and the exporter questionnaires sent to the exporters/ producers in the subject country were also sent to the embassies of the subject countries in India along with a list of known exporters /producers with a request to advise the known exporters / producers from the subject countries as also other exporters / producers from the subject countries to respond to the questionnaires within the prescribed time limit from the date of issue of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4):

vi. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject countries in accordance with the Anti-dumping Rules:

i. Hanwha Chemical Corporation, Korea RP

ii. DC Chemicals Limited, Korea RP

iii. Shanghai Chlor Alkali, China PR

vii. Response to the exporter's questionnaire was received from following producers/ exporters/traders from China PR and Korea RP:

a. Tianjin Dagu International Corp, China PR (exporter)

b. Tricon Energy Ltd, USA (exporter)

c. Tricon Overseas Inc., USA (exporter)

d. Tianjin Dagu Chemical Company Limited, China PR (exporter)

e. Hanwha Corporation, Korea RP (exporter)

f. Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd, China PR (exporter)

g. Hanwha Chemical Corporation, Korea RP (producer)

viii. The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known importers/consumers (whose names and addresses were made available to the Authority by the applicants) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with Rule 6(4):

i. Abhay Chemicals Limited, Gujarat

ii. Albright Wilson Chemicals Limited, Mumbai

iii. Arvind Mills Limited, Gujarat

iv. Birla Cellulose Limited, Gujarat

v. Central Pulp Mills Limited, New Delhi

vi. Deepak Nitrite Limited, Gujarat

vii. Godrej Soaps Limited, Mumbai

viii. Gujarat Narmada Fertilizer & Chemicals Limited, Gujarat

ix. Gujarat State Fertilizer & Chemicals Limited, Gujarat

x. India Farmer Fertilizer Coop. Limited, Kasturinagar

xi. Indian Oil Corporation Limited, Gujarat

xii. Jaysynth Dyechem Limited, Mumbai

xiii. Link Pharma Ltd., Gujarat

xiv. Meghmani Organics Limited, Gujarat

xv. Narmada Chemature Petrochemicals Ltd., Gujarat

xvi. Nirma Limited, Gujarat

xvii. All India Biotech Association, New Delhi

xviii. All India Distillers Association, New Delhi

xix. All India Flat Glass Mfrs, New Delhi

xx. All India Food Preservers Association, New Delhi

xxi. All India Moder Textile, Tamil Nadu

xxii. All India Plastics Manufacturers Association, Mumbai

xxiii. All India Strach Manufacturers Association Pvt. Ltd., Mumbai

xxiv. Chemicals and Petrochemicals, New Delhi

xxv. Compound Livestock Feed Manufacturers Association of India, Mumbai

xxvi. Confederation of Indian Alcoholic Beverage Cos., New Delhi

xxvii. Federation of Indian Mineral Industries, New Delhi

xxviii. Fertilizer Association of India, New Delhi

xxix. Indian Drug Manufacturers Association, Mumbai

xxx. Indian Paper Manufacturers Association, New Delhi

xxxi. Indian Soap and Toiletries Association, Mumbai

xxxii. Indian Sugar Mills Association, New Delhi

xxxiii. Organization of Pharmaceutical Producers of India, Mumbai

xxxiv. Soybean Processers Association of India, Indore

xxxv. Pab Chemicals (P) Limited, Gujarat

xxxvi. Rama News Print and Papers, Gujarat

xxxvii. Sabero Organics Limited, Mumbai

xxxviii. Torrent Gujarat Biotech Limited, Gujarat

xxxix. Transpek Silox Industries Limited, Gujarat

xl. National Aluminium Company Limited, Orissa

xli. Cyanides & Chemicals Company, Mumbai

xlii. Hitsu Industries Limited, Gujarat

xliii. Adani Exports Limited, Gujarat

xliv. Adani Wilmar Limited, Gujarat

xlv. Libra Foams, Gautam Buddh Nagar (UP)

xlvi. Shri Ramchandra Straw Products Ltd, Moradabad (UP)

xlvii. Bilag Industries Pvt. Ltd. Gujarat

xlviii. Daurala Organics Limited, New Delhi

xlix. CJ Shah & Co., Mumbai

l. Harish Kr. & Company, Mumbai

li. Hindustan Link & Resins Limited, Gujarat

lii. Hidustan Lever Limited, Mumbai

liii. All India Federation of Master Printers, New Delhi

ix. No questionnaire response was received from any importer. However, submissions were received from Sandeep Organics Pvt. Ltd., Mumbai.

x. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review investigation is 1st October, 2012 to 30th September, 2013. The examination of trends in the context of injury analysis covered the financial years 2010-2011, 2011- 2012 and 2012- 2013 and the POI.

xi. Transaction wise import data was procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S). It was, however, found that the volume of imports reported in DGCI&S is lower by 15 % than the volume of imports reported in IBIS, the source adopted by the petitioner. Volume and value of imports reported in IBIS has, therefore, been adopted for the present determination.

xii. Exporters, producers, importers and other interested parties who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.

xiii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per the Rules.

xiv. The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent considered necessary on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules and worked out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xv. In accordance with the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 15th September, 2014. All the interested parties attending the hearing were requested to file written submissions/rejoinders of the views expressed orally.

xvi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation have been examined and addressed in this investigation to the extent found relevant.

xvii. Verification of the information and data submitted by the domestic industry and the responding exporters was carried out to the extent deemed necessary.

xviii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xix. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its views/observations on the basis of the 'facts available' and treated such parties as non-cooperative.

xx. The Central Government, at the request of the Authority, extended the time to complete the investigation up to 18.06.2015.

xxi. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 11.06.2015. The post Disclosure Statement submissions received have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.

xxii. ***in this Final Findings Notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxiii. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.57.14 = 1US$.

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Submissions made by the Domestic Industry

10. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to the product under consideration (PUC) and the like article:

i. The product under consideration herein is Caustic Soda of all types. Caustic Soda is chemically known as NaOH or Sodium Hydroxide. Caustic Soda is a soapy, strongly alkaline odourless liquid widely used in diverse industrial sectors, either as a raw material or as an auxiliary chemical. Caustic Soda is produced in two forms- lye and solids. Solids can be in the form of flakes, prills, granules or any other form.

ii. Since the present investigation is a sunset review investigation for continued imposition of anti-dumping duty, the product under consideration is the same as in the original investigation and earlier conducted sunset review investigation.

iii. Caustic Soda is mainly used in the manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fibre, aluminium, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergents, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining etc.

iv. There is no difference in Caustic Soda produced by the Indian Industry and exported from subject countries. They are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods.

v. Although Caustic Soda is being produced world over through three technologies or processes, this does not result in the difference in the product in terms of its physical & chemical properties, product specifications, marketing, pricing, consumer perceptions, tariff classification, etc.

vi. There is no significant difference in the technology employed by the domestic industry and producers in subject countries. However, every manufacturer fine tunes its production process on the basis of necessities and available facilities. Further, the membrane technology is the latest technology and most of the plants in India are having this process. The domestic industry has, therefore, a comparable technology.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

11. No relevant submission has been made by the producers/exporters/ importers/other interested parties with regard to the scope of the product under consideration and the like article.

Examination by the Authority

12. The product under consideration in the original investigation, previous sunset review as well as the present SSR investigation is Caustic Soda of all types and forms. The product is generally known as Caustic Soda. Caustic Soda is chemically known as NAOH. Caustic Soda is a soapy, strongly alkaline odourless liquid widely used in diverse industrial sectors, either as a raw material or as an auxiliary chemical. Caustic Soda is produced in two forms- lye and solids. Solids can be in the form of flakes, prills, granules or any other form.

13. In the previous sunset review investigation conducted on the subject goods, the Authority had defined the product under consideration and its scope as under:

"The product under consideration in the present case is Caustic Soda, which is chemically known as NaOH. Being a sunset review investigation, product under consideration in the present application is the same as has been in the original investigation. In the final findings of the original investigation, the Designated Authority had defined the product under consideration as follows:

The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature of NaOH), commonly known as Caustic Soda originating in or exported from Korea ROK and China PR. Caustic Soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odourless chemical.

Caustic Soda is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under Customs head 2815.11 and 2815.12. As per ITC 8-digit classification, the product is classified under the Custom Heading 2815.1101, 28151102 and 2815.1200.

Caustic Soda is produced in two forms, i.e. lye and solids by three technology processes, i.e. mercury cell process, diaphragm process and membrane process. Liquid form can be converted into solid and the solid form can be reconverted in liquid with ease and without any change in the chemical properties of the product. The solid form has ease of storage and transportation whereas the liquid form has easy solubility. For end use both the forms are substitutable and interchangeable. The domestic industry produces caustic soda in two forms and are comparable with the imports from subject countries, therefore, is being treated as like article within meaning of 2(d) of the Rules."

14. The Authority notes that subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported into India from the subject countries are like articles within the meaning of the Anti dumping Rules. There is no known difference between the subject goods imported from the subject countries and that produced by the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, function & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods; that the consumers can use and are using the two interchangeably and that the two are technically and commercially substitutable. After examination, the Authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are like article to that imported from the subject countries.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

15. The following are the submissions made by the producers/exporters/other interested parties with regard to scope of the domestic industry and standing:

i. As per the Initiation Notification, the domestic industry comprises two producers, i.e., DCM Shriram Consolidated Limited, New Delhi and Gujarat Alkalies & Chemicals Limited, Vadodara. However, the non-confidential version of the petition provides information for four domestic industry members as opposed to two.

ii. At the public hearing the Designated Authority clarified that the domestic industry is defined as per the Initiation Notification and not as per petition.

iii. Since the domestic industry differs for initiation and the petition the requirement of adequacy and accuracy as under Rule 5 which is necessary herein has been diluted. Thus, the initiation itself is without the authority of law as there is prima facie violation of a mandatory requirement (Rule 5) under the Anti-dumping rules.

iv. Alternatively, it may be argued that injury figures for two domestic industry members were presented in an application and analyzed. In that case, the application circulated for the interested parties is the wrong application which is a clear violation of Rule 6 of the anti dumping rules.

v. The Designated Authority must examine whether Rule 5(3)(a) has been violated to the extent that the accuracy and adequacy has been examined in view of the named constituents forming part of the Domestic Industry before the Authority.

vi. The Authority must examine whether Rule 6 has been violated to the extent that the injury parameters were examined for the wrongly named constituents forming part of the Domestic Industry and an incorrect version of the petition was circulated to the interested parties.

vii. DCW, Reliance and Chemplast Sanmar are only Indian producers capable of supplying in bulk quantities through rail. All of them together can only meet 1/4th or 1, 20,000 MT of the total requirements of the three consumers on the east coast.

Submissions by the Domestic Industry

16. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing:

i. The scope of domestic industry and standing are not relevant in a sunset review. Nevertheless, the petitioners command major proportion in Indian production in the POI and, therefore, constitute domestic industry.

ii. The petition has been filed by Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI). The productions of the petitioner companies (member of AMAI) constitute a major proportion, i.e., 42.44% (excluding captive consumption) share of Indian production. Thus, the petitioner companies constitute domestic industry within the meaning of the Rules.

iii. The petition clearly states the names of all four companies, namely, DCW Limited, SIEL Chemical Complex, DCM Shriram Consolidated Limited and Gujarat Alkalies & Chemicals Limited. All of them have provided information in the present case and the same has been referred to by Designated Authority in the notice of initiation. The reference in para 6 of the notice of initiation is only a typographical error.

iv. Rule 5 is not applicable at the stage of review as evidently provided in Rule 23.

v. The Authority has given no clarification to the tune that domestic industry comprised two producers. The Authority merely asked the interested parties to clarify the basis of their statement.

vi. With regard to the argument of Indian producers meeting 1/4th of the requirement of three consumers on the East, it is clear that this is a false argument. Material has been supplied to Aluminium Industry by 15 producers in the country. Further, combined production of these companies is 1,360,686 MT as against requirements of 447,516 MT by the Aluminum industry.

Examination by Authority

17. The Authority notes that Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules provides as follows:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are relate to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

18. The Authority notes that the application has been filed by Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI) and is supported by four companies namely, DCW Limited, SIEL Chemical Complex, DCM Shriram Consolidated Limited and Gujarat Alkalies & Chemicals Limited.

19. As regards the contention that the petition is made by two producers instead of four, the Authority notes that the application has been filed by Alkali Manufacturers' Association of India on behalf of the domestic producers. The Authority further notes that the facts of the case and information on record clearly establish that the petition was filed by four domestic producers. The non-confidential version of the petition provides information for four domestic industry members as opposed to two and this non confidential version of the petition was placed in the public file and accessed by the opposing interested parties. This fact has already been acknowledged by the opposing interested parties. The initiation was based on the production data of four domestic producers though in the initiation notification the names of only two major producers, who account for major percentage of the total production of the four producers, are mentioned. The Authority forwarded a copy of the public notice to these known domestic producers of subject goods in India alongwith prescribed proforma and advised them to provide relevant information for injury determination and make their views known in writing in the prescribed time limit. While these companies have supported the petition, they have also provided information relevant to injury determination. Accordingly costing information for four producers has been filed and it suffices the standing requirement and constitutes the domestic industry at the stage of initiation. The information furnished by all the four domestic producers has been verified by the Authority to the extent considered relevant.

20. The Authority notes that the domestic industry is the same for the initiation and the petition. Therefore, there is perfect conformity as concerns the Rules including Rule 5. At the stage of initiation, the Authority is required to prima facie satisfy itself with regard to the need for initiation. The Authority may not have all the information at the stage of initiation as would be required for a final determination. The purpose of initiation is to provide opportunity to all interested parties to provide relevant information. The Authority can make determination only after opportunity for providing information and defending interests has been provided to all interested parties.

21. As regards the argument on demand-supply imbalance within the Country on regional basis, the Authority notes that the purpose of anti dumping duty is to address unfair dumping of the goods. Its purpose is not to be used as a protectionist measure for the domestic industry but rather to restrict the imports and rectify the injury caused to the domestic industry.

22. The imports information procured by the Authority from DGCI&S shows 27973 MT of Caustic Soda by M/s. Hindalco Ltd. Further, it is noted that following domestic producers of Caustic Soda are group companies of M/s. Hindalco Ltd. Imports made by Hindalco is quite significant in relation to production of some of these companies. Moreover, these companies have given no plausible reasons for import of Caustic Soda when these companies are producing and selling Caustic Soda in the market. The Authority has, therefore, considered these companies as ineligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti dumping rules.

23. Indian production, production of the participating companies and the share of participating companies in Indian production are given in the Table below:

Production details of Caustic Soda in India

Particulars	Units	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Total Indian Industry Production (As per Annual Report of the Association - AMAI)	MT	24,02,325	25,03,623	24,87,993	25,26,029
Participating Companies' Production					
SIEL	MT	60,830	61,959	66,755	65,784
DSCL, Jhagadia	MT	1,32,758	1,27,506	1,34,850	1,45,177
DSCL, Kota	MT	77,010	1,08,796	1,12,348	1,12,987
GACL, Baroda	MT	1,69,924	1,58,515	1,58,331	1,53,199
GACL, Dahej	MT	2,38,643	2,18,666	2,00,920	2,05,001
DCW	MT	81,684	90,569	72,526	76,820
Total		7,60,850	7,66,012	7,45,730	7,58,967
Share of Participating Companies	%	31.67	30.60	29.97	30.05

24. The following Table gives the details of Indian production, production of eligible companies and production of participating companies:

Particulars	Including captive consumption (in MT)	Excluding captive consumption (in MT)
Gross Indian production	2,526,029	2,393,514
Production of ineligible companies (Aditya Birla Chemical, Jharkhand, ABCIL, Renukoot, Aditya Birla Novo Ltd, Varaval, Grasim India Ltd, Nagda, Grasim Industries Ltd, Vilayat, Aditya Birla Chemical, Karwar)	605,050	605,050
Production of eligible companies	1,920,979	1,788,465
Production of participating companies (excluding Brine consumption)	758,967	758,967
Share of participating companies in:		
Gross Indian production	30.05 %	31.71 %
Production of eligible companies	39.51 %	42.44 %

25. It is thus seen that the production of the participating companies constitutes a major share in Indian production in all situations.

26. Having regard to the Rules and considering the production of the participating companies in various situations, the Authority concludes that the share of the participating companies constitutes a major proportion in Indian production. The participating companies, therefore, constitute domestic industry within the meaning of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

Submissions by the producers/exporters/importers/other interested parties

27. The exporters/importers/other interested parties have contended as follows:

i. The present petition should be terminated on the grounds of excessive confidentiality.

ii. The cost related information has not been disclosed in summarized form. No indexed or ranged figures have been provided as part of the costing section of the petition.

Submissions by the Domestic Industry

28. The Domestic Industry has made the following submissions:

i. The questionnaire responses coming from the same law firms show discrepancy in suppression and disclosure of relevant information. This is an extreme example of the manner in which confidentiality is being claimed by the exporters. The responses from some exporters have no satisfactory reasons for resorting to confidentiality in relation to substantial information.

ii. The non confidential version of the petition contains all information required to be disclosed as per the practices followed by the Authority. In fact, the exporters have not filed sufficient information in the non-confidential version and the present attempt is only to justify their own suppression of information. Even information such as volume and value of exports to India has been claimed confidential, which has no legal or factual basis

Examination by the Authority

29. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the Designated Authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the Designated Authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The Designated Authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the Designated Authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the Designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

30. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the authority. Such information can not be disclosed without specific permission of the party submitting it.

31. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the petitioners and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

Miscellaneous submissions made by the producers/exporters/importers and other interested parties

32. The following miscellaneous submissions have been made by producers/ exporters/importers/other interested parties:

i. Rule 6 has been violated to the extent that the injury parameters were examined for the wrongly named constituents forming part of the domestic industry and an incorrect version of the petition was circulated to the interested parties.

ii. As per Rule 23(3), Rule 11 and the Initiation Notification the causal link analysis is intrinsic to any injury analysis and cannot be precluded at any level of investigation.

iii. The tender information for NALCO shows that the tender prices for all producers are at the same level as the imported material.

iv. The petition of domestic industry hasn't 'duly substantiated' the need for a sunset review.

v. The cost for Caustic Soda must be allocated on a turnover basis (including captive transfer) rather than loading of all costs on caustic soda.

vi. The Authority should assess the domestic industry's records to determine whether chlorine's turnover and value justifies its treatment as a by-product rather than co-product.

vii. The competitive advantage of exporters cannot be termed as dumping. Even if duties are levied, there will inevitably be imports due to inherent drawback in the supply capabilities of the domestic industry.

viii. Domestic industry has been treating Chlorine as a by-product rather than co-product. As a result, the cost of producing ECU is loaded completely onto Caustic Soda.

ix. The premise for such treatment of chlorine is that the chlorine demand in India is poor. However, market for chlorine has evolved as GACL and DCM Shriram Consolidated have downstream integration for chlorine since they both manufacture Poly Vinyl Chloride.

Miscellaneous submissions made by the domestic industry

33. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

i. None of the exporters' questionnaire has provided transaction wise details of exports to third countries as required by the Authority. In this light, all questionnaire responses are grossly deficient and are required to be rejected.

ii. Rule 6 is applicable for investigation phase and not initiation phase. Various provisions under Rule 6 are applied only when the case has been initiated.

iii. With regard to the causal link analysis, the Authority is required to focus only on changes that have occurred since imposition of anti dumping duty and is not required to repeat the entire exercise.

iv. The claim of respondents about tender information for NALCO displaying same level of prices for all producers as imported level establishes that the domestic industry is forced to offer a price in competition to imports.

v. As regards the contention of interested parties that the need for sunset review is not duly substantiated in the petition, it is submitted that the Authority has held in the initiation notice that it has decided to initiate as the domestic industry approached with duly substantiated application. The Authority has considered the prima facie evidence given by the applicants and considered the initiation for sunset review proceedings to be appropriate.

vi. The domestic industry has adopted appropriate methodology in their cost records which may be accepted by the Authority.

vii. With regard to the argument about assessing domestic industry's records about chlorine turnover, the Authority may do what is considered relevant and necessary. The domestic industry has provided all relevant information and shall provide information required by the Authority.

viii. Dumping is not about competitive advantages. Dumping margin is the difference between normal value and export price. If the exporters have lower freight cost, it should imply higher ex-factory realization to the exporters, which should imply lower dumping. The market share of imports was as low as 3% during 2004-05 and 2005-06 and increased to 14% in 2009-10 and declined below 8% in 2010-11. Market share of imports is once again 14% in current year, which clearly shows that the increase in imports is because of dumping practices.

ix. Chlorine is a by-product for the participating companies and, therefore, is required to be treated accordingly.

x. With regard to the argument about downstream integration, it is submitted that this argument further establishes that Chlorine is a by-product for the participating companies and, therefore, is required to be treated accordingly. As regards changing situations, GACL does not produce PVC resin, while DCM Shriram although produces Chlorine, but captively consumes 75%. The rest is sold in the market. Further DCM has two plants (at Kota and Jhagaria). PVC is produced only at Kota. At Jhagaria, the company sells chlorine produced by the company.

Examination by the Authority

34. The Authority has carefully examined the submissions made by various interested parties and holds as follows:

a. Rule 6 of the Rules is applicable after the investigation has been initiated and not at the stage of initiation. At the stage of initiation, the Authority is required to only prima facie satisfy itself that there was sufficient evidence to justify initiation of investigations.

b. As regards examination of causal link, the Authority notes that the provisions relating to causal link are applicable on mutatis mutandis basis and the same has been considered in the present determination.

c. As regards tender prices of various suppliers in supplies to NALCO, the Authority notes that the same in fact shows competition between the domestic producers and foreign producers. In a situation where NALCO places orders on the basis of lowest price, in case a foreign producer-exporter is quoting lower price, the domestic industry is likely to lose the orders.

d. As regards merits in the petition for initiation, the Authority has initiated the investigations only after prima facie satisfying itself that the petition contained sufficient evidence to justify initiation.

e. As regards allocation of costs between caustic and chlorine, it is clarified that the Authority has proceeded based on records maintained by the company. Annexure-II to the Rules provides that the Authority shall consider records maintained by the company with regard to product under consideration. The same has, therefore, been followed in the present case.

f. As regards advantages and disadvantages of competitiveness, the Authority notes that the same is a matter of dumping investigation. As far as injury to the domestic industry is concerned, the Authority has considered the domestic industry as it exists. The Authority notes that the treatment of chlorine as joint or by product is not based on demand for chlorine but based on relative value of the two products.

G. ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND PARAMETERS

Normal Value, Export Price and Determination of Dumping Margin

Submissions by the Domestic Industry

35. Following are the submissions made by the domestic industry:

i) China is a non-market economy. No country has granted market economy country status to China. None of the Chinese producers can satisfy market economy status. However, even the prices in China as reported in Harimman Chemsult establish dumping. Petitioners have made efforts to get information on prices at which Caustic Soda is being sold by the exporters and producers in Korea RP. Since Harriman Chemsult reports prices in China and Korea RP, it is a good indicator for prices prevailing in the domestic market of these countries. These prices reported by them have been taken to be normal value in these countries.

ii) The net export price has been determined as per established rules after making adjustments towards the expenses such as ocean freight, document charges, port charges, marine insurance, commission, inland freight, VAT difference in case of China only.

iii) For the purpose of calculating dumping margin, fair comparison is made between the export price and normal value. The normal value and export price have been determined at ex-factory level and pertain to the same period. There are no known differences in the conditions and terms of sales. Both prices are free of taxes. Foreign producers are selling the goods in both the markets at the same level of trade. Thus, the comparison made is a fair comparison.

iv) Dumping has continued even after the imposition of dumping. Even in the previous investigation by the Authority significant dumping of the product in India had been noted.

v) As regards the issue of calculating individual margins is concerned, it is submitted that as far as Hanwha is concerned, the Authority should hold that Hanwha has resorted to significant suppression of facts and grossly misleading information between the present investigation and sunset review of PVC Suspension Resin. Hanwha Chemicals should not be entitled to individual dumping margin as they contended at the time of public hearing that they are the producer and Hanwha Corporation is the exporter while Tricon Energy is the one who eventually ships the goods to India, being the exporter. However, this claim is totally contrary to the claim of Hanwha made at the time of PVC Suspension Resin sunset review investigation, wherein Hanwha Corporation claimed that it is only a commissioning agent. The Designated Authority is required to co-relate all records for PVC Suspension Resin sunset review case and in case of significant contradiction, the Authority should reject the entire response.

Submissions by producers/importers/exporters and other interested parties:

36. Following are the submissions made by the producers/exporters/importers/ and other interested parties in this regard:

i. Since the exporters have submitted all the relevant information in the prescribed form, the Authority is requested to calculate individual dumping margins for all cooperative trade channels and accordingly recommend duty rates in this behalf.

ii. It is not clear what kind of adjustment has been made as regards the benefits which accrue to the exporters in the subject countries. The Applicants must disclose the nature of benefits and the kind of adjustment made thereto.

iii. The import data relied upon by Applicants is inconsistent since the Applicants have relied upon Chinese Customs data for exports from China. Such data should not be accepted as the sanctity of such customs data is beyond the verification of the exporters or even the Authority.

Examination by Authority

37. Under section 9A (1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under subsection (6), or

(ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section(6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of exporter there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

38. As regards the submission that there should be individual dumping/injury margin determinations for all cooperating trade channels, the Authority notes that the dumping margin and injury margin determinations in the present investigation are consistent with the established practice of the DGAD and the Rules in this regard.

39. As regards the contention that a small volume of imports from China PR and Korea RP cannot injure the domestic industry, the Authority notes that injury analysis has been made having regard to the Rules. Further,

the present investigation is a sunset review investigation and the Authority is required to examine likelihood of dumping and injury also, in addition to the actual dumping and injury during the relevant period.

40. As regards the adjustments claimed by the domestic industry, the Authority notes that it is consistent with established practice.

41. The Authority sent questionnaires to the known exporters/producers from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following producers/exporters from subject countries have filed exporter's questionnaire response:

i. M/s Hanwha Chemical Corporation, Korea RP (producer)

ii. M/s Hanwha Corporation, Korea RP (exporter) and

iii. M/s Tricon Energy Limited, USA (exporter)

iv. M/s Tianjin Dagu Chemical Company Limited, China PR (producer) and M/s Tricon Overseas Inc, USA (exporter),

v. M/s Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd, China PR (exporter) and

vi. M/s Tianjin Dagu International Corp., China PR (exporter)

Determination of Normal Value for Korea RP

M/s. Hanwha Chemical Corporation (HCC), Korea RP (Producer)

42. M/s Hanwha Chemical Corporation (HCC) has responded and provided the information in prescribed format. The cost of production of the respondent has been compared with the transaction wise domestic sales and it was found that more than 80 % sales are profitable. Therefore, the Authority determines normal value on the basis of all the domestic sales as reported in the Appendix-1. The adjustments on account of Inland freight, insurance, and interest, etc. as claimed have been allowed. Accordingly, the normal value worked out on the basis of domestic selling price is indicated in the Dumping Margin Table below.

Normal Value for non-cooperative producers/exporters from Korea RP

43. The Authority notes that no other producer/exporter from Korea RP has submitted exporter's questionnaire response. Therefore, normal value as determined for the cooperating producer from Korea RP has been adopted for the non cooperative producers/Exporters from Korea RP. Accordingly, the normal value so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Determination of Normal Value for China PR

44. The Authority notes that in the past three years, China PR has been treated as a non market economy country in anti-dumping investigations by India subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters/producers in terms of the AD Rules.

45. As per Paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules, the presumption of a non-market economy may be rebutted, if the exporter(s)/producer(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The co-operating exporters/producers of the subject goods from China PR are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether:

- The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology, labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms; and
- The exchange rate conversions are carried out at the market rate.

46. The Authority sent copies of exporter's questionnaire and questionnaire on market economy treatment (MET) to exporters in China PR. However, no producer/exporter has claimed MET. In view of the above the

Authority considers it appropriate to proceed with para-7 of Annexure I to the Rules for determination of normal value in case of China PR which provides as under:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

47. In view of the above, the Authority has determined normal value having regard to para-7 of Annexure-I for the purpose of present investigation. The normal value for the subject goods imported from China PR into India has been constructed considering optimum consumption of major raw materials as per information provided by the domestic industry, international prices for raw material, conversion cost, interest, SGA etc. at the levels allowed for the domestic industry along with a reasonable profit on the cost of production. Accordingly, the normal value so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Determination of Export Price for Korea RP

M/s Hanwha Chemical Corporation (HCC) and Tricon Energy Ltd., USA (exporters)

48. The Authority notes that M/s Hanwha Chemical Corporation (HCC) has exported the subject goods through Tricon Energy Ltd., USA which has submitted the exporters' questionnaire response. The export chain to India consisted of HCC, Korea RP – Hanwha Corporation, Korea RP – Tricon Energy Ltd., USA – Indian customers. All export transactions for quantity *** DMT have been made through Hanwha Corporation and finally through Tricon Energy Ltd. which has raised invoices on the customers in India. The adjustments claimed by the producer and exporter are being considered for determination of net export price, i.e, international freight, interest, clearing & handling charges, insurance of HCC and bank charges, commission, LC fees, SGA and profit of Tricon. The net export price for HCC (Producer) and Tricon (Exporter) determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Non-Cooperative exporters from Korea RP

49. The Authority notes that no other exporter/producer from subject countries has responded to the Authority in the present investigation. Therefore, the Authority proceeds to determine the net export price based on facts available. Accordingly, the export price so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Determination of Export Price for China PR

M/s Tianjin Dagu Chemical Company Limited, China PR (producer), M/s Tianjin Dagu International Corp., China PR and M/s Tricon Overseas Inc, USA (exporter) and Tricon Energy Ltd., USA (exporters)

50. The exporter M/s Tricon Energy Ltd. has provided the export-wise transaction details of the exports made to India for the subject goods procured from China PR. The export chain to India consisted of Tiangin Dagu, China PR – Tiangin Dagu International, China PR – Tricon Overseas, USA/Tricon Energy Ltd., USA – Indian customers. For determination of export price, all transactions of export and procured from China originating from Tiangin Dagu have been taken into consideration. However, the exports to India by the Tricon Energy were made on CFR basis. To determine the ex-factory export price, the expenses incurred on account of bank charges & credit cost of M/s Tianjin Dagu Chemical Company Limited, International freight, commission, Discount, LC charges, insurance, SGA, profit of Tricon have been adjusted from the sale price from M/s Tricon. Accordingly, the export price so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

M/s Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd, China PR (Producer/Exporter) and M/s Tricon Overseas Inc, USA (exporter).

51. The exporter M/s Tricon Energy Ltd. has provided the export-wise transaction details of the exports made to India for the subject goods procured from China PR from Shanghai Chlor- Alkali or other participating companies. For determination of export price, all transactions of export and procured from China have been taken into consideration. However, the exports to India by the Tricon Energy were made on CFR basis. To determine the ex-factory export price, the expenses incurred on account of bank charges & credit cost of M/s Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd, International freight, insurance, SGA, profit of M/s Tricon have been adjusted from the sale price from M/s Tricon Overseas Inc. Accordingly, the export price so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Non-Cooperative exporters from China PR

52. The Authority notes that no other exporter/producer from subject countries has responded to the Authority in the present investigation. Therefore, the Authority proceeds to determine the net export price based on the lowest export price of cooperative producer, i.e, M/s Tianjin Dagu Chemical Company Limited. Accordingly, the export price so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

53. Considering the Normal Values and the Export prices as determined as above, the Dumping Margin for the producers/exporters from the subject countries is determined as follows:

Dumping Margin Table

Country	Producers/ Exporters	Normal Value USD/DMT	Net Export Price USD/DMT	Dumping Margin USD/DMT	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range (%)
Korea RP	Hanwha Chemical Corporation (Producer) - Hanwha Corporation & Tricon Energy Ltd. (Exporter)	***	***	***	***	(0-10)
	Any other combination	***	***	***	***	0-10
China PR	Shanghai Chlor Alkali (Producer) & Tricon Overseas (Exporter)	***	***	***	***	(0-10)
	Tianjin Dagu (Producer) & Tricon Energy Ltd. or Tricon Overseas (Exporter)	***	***	***	***	(0-10)
	Any other combination	***	***	***	***	35-45

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

Submissions by the domestic industry

54. The domestic industry has made the following submissions with regard to the injury and causal link:

i. Since petitioner companies are multi product companies, petitioners have provided relevant information with respect to the like article to the extent feasible.

ii. Imports have significantly increased from the base year and have remained significant throughout the injury period. Imports from other countries attracting anti dumping have increased up to 2012-13 and has then declined in the POI.

iii. Imports in relation to production and consumption have increased. Should the present anti dumping duties cease, there would be further increase in the volume of dumped imports.

iv. The landed price of imports has been below the selling price of the domestic industry. The imports were undercutting the prices of the domestic industry in the market.

v. A comparison between landed price of imports, cost of sales and selling price show that the imports are likely to depress the domestic prices during the period of investigation.

vi. Performance of the Domestic industry in terms of profits, return on investments, cash flow, inventories etc. has remained positive till 2012-13. However, there is decline once again in investigation period with the reduction in the import prices in this period.

vii. Production, sales, capacity utilization has shown some improvement.

viii. Even after minor improvements, the situation of the domestic industry is clearly fragile and deteriorated in the present investigation period.

ix. As far as the contention of petition being erroneous is concerned, it is submitted that this is a mere assumption by the exporter. The petition makes it evident that the injury information is based on four companies.

x. As regards the contention that domestic industry has not suffered any injury on volume parameters in the injury period, it is submitted that in the majority of the past cases, the Authority has found that domestic industry in those cases have suffered adverse price effect of dumped imports on the domestic industry. Given the nature of the industry, the effect of dumped imports is normally on the prices at which the domestic industry sells the product in the market.

xi. The decline in profitability coincides with and has moved in tandem with the import price from subject countries and other countries into India.

xii. There is no 'phenomenal' increase in profitability. Further the return on investment of the industry in the period of investigation was below the reasonable levels considered by the Authority.

xiii. While the causal link is not required to be established at the stage of sunset review, the increase in profits and ROI with the increase in the import prices up to 2012-13 and decline in profits and ROI in the POI with the decline in the imports prices clearly establishes that the selling prices of the domestic industry are directly impacted by the dumped goods.

xiv. Contrary to the arguments of the interested parties, the petition includes only those companies' who are one of the low cost producers of the product under consideration.

xv. As regards the contention about from other sources such as Qatar and Pakistan, the domestic industry submits that import prices from Qatar were not so low and therefore the domestic industry did not file petition in respect of Qatar. As regards Pakistan, import volume from Pakistan was below de-minimus limit in that period.

xvi. As regards the contention that petitioning industry is located at west coast of India while the alumina industry is located on the east coast leading to hardships during transportation of raw materials, the Authority should consider the domestic industry as it exists and not under ideal conditions. Further, it has been a standing contention of the domestic industry that injury margin should be determined by including the incidence of inland freight. There is no justification by the interested parties or the Designated Authority as to why the non-injurious price at the ex-factory level should be compared with the landed price of imports which is at various ports in the country. The purpose of injury margin is to determine the extent of injury suffered by the domestic industry. The quantum of freight borne by domestic industry is directly relevant for the purpose.

xvii. As regards the history of Caustic consumption in India, majority of demand of Aluminium industry in the country is met by Indian Industry. In fact, there have been instances in the past where the foreign producers took orders from Aluminium industry, then declined supplies and eventually the domestic industry came to the rescue of the Aluminium industry.

Submissions by producers/exporters/importers other interested parties

55. The foreign producers/exporters/importers/other interested parties have made the following submissions with regard to the injury and causal link:

i. The domestic industry has not suffered any injury on volume parameters in the period of investigation and the injury period.

ii. As per anti dumping rules, a causal link analysis is intrinsic to any injury analysis and cannot be precluded at any level of investigation, be it an original investigation or a review.

iii. The volume parameters such as production, capacity utilization and sales have not witnessed any deterioration in the injury period and the domestic industry cannot claim injury on these parameters.

iv. The domestic industry has not suffered any material injury on account of market share as the decline in market share is negligible. The market share lost by the domestic industry has no correlation to the subject imports.

v. The inventory buildup of the domestic industry is unrelated to domestic sales and the impact of subject imports.

vi. The domestic industry has been able to increase its prices at a faster rate than cost. There is no price suppression or depression over the injury period.

vii. The profitability of Domestic Industry has witnessed phenomenal increase during the injury period. The profits of the domestic industry are completely unaffected by the subject imports and any injury claimed to be suffered in this behalf cannot be attributed to the subject imports.

viii. AMAI has only put forward those producers whose figures best establish injury and maximize duty in this behalf.

ix. The petition submitted by the petitioners is an erroneous petition as it is based on injury figures of four companies while the initiation notification suggests only two companies.

x. There are imports from Qatar and Pakistan which are above de minimis in the period of investigation and which is dumping at prices comparable with the range of subject countries' imports.

xi. The import is due to the fact that caustic soda from other countries is more viable. The Indian Caustic Soda comes from the West Coast where the petitioning industry is located, while Alumina industry accounting for more than 20% of the caustic soda consumption in India is located on the East Coast.

xii. The transportation from West Coast to East Coast causes hardships and increase in the cost of raw materials to Alumina manufacturers. The Domestic producers are unable to supply in the lot sizes required by the Alumina users.

Examination by the Authority

56. The Authority has taken note of various submissions of the interested parties on consequent injury to the domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable as per law. While issues concerning the facts and figures are addressed ipso facto in the injury analysis, the specific submissions are examined and addressed below.

57. As regards the submission that the initiation is erroneous as names of only two companies have been provided, the Authority notes that the initiation is based on the petition which clearly provides the names of four companies.

58. As regards the contention that AMAI has only put forward those producers whose figures best establish injury and maximize duty in this behalf, the Authority notes no such discrepancy. Production of the petitioning companies constitutes a major proportion in Indian production and therefore the Authority is required to carry out injury analysis on the basis of defined domestic industry. There is no information on record to show that performance of other domestic producers not forming part of the domestic industry is significantly better as compared to the performance of the domestic industry considered by the Authority.

59. As regards the contention that location of petitioning industry on West Coast and Alumina Industry on the East Coast is causing escalating problems, prompting the imports from subject countries, the Authority notes that there has been no structural change either in the producing industry or in the consuming industry. Domestic Industry is required to be considered as it exists and not in ideal conditions.

60. In consideration of the various submissions made by the domestic industry in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.

61. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, *"…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…."*. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

62. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.

63. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Since the anti- dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers whether the existing anti-dumping duties on the imports of subject goods from subject countries are required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined whether the existing anti-dumping measure is sufficient or not to counteract the dumping which is causing injury.

64. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

65. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to DCM Shriram Consolidated Limited, Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd, DCW Limited and SIEL Chemical Complex, constituting domestic industry under the Rules. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows.

VOLUME EFFECT:

Volume effect of dumped imports and impact on domestic industry

Demand and Market Share

66. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in the Country as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed can be seen in the table given below. The Authority notes that demand for the product in the country increased over the injury period.

Demand

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Demand in India					
Sales of Domestic Industry (including captive consumption)	MT	6,90,107	7,05,003	6,87,327	7,01,086
Trend	*Indexed*	100	102	100	102
Sales of other Indian producers	MT	15,22,461	15,82,304	16,01,148	16,24,070
Trend	*Indexed*	100	104	105	107
Imports from Subject Countries	MT	63,105	92,384	88,886	88,154
Trend	*Indexed*	100	146	141	140
Imports from Other Countries attracting ADD	MT	1,16,588	95,627	2,39,151	1,71,922
Imports from Other Countries	MT	7,742	31,376	38,656	44,220
Total Demand	MT	24,00,003	25,06,694	26,55,168	26,29,453
Trend	*Indexed*	100	104	111	110

Market Share in Demand

67. Considering imports from various sources and sales of the Indian Producers, market share of subject imports in demand in India was examined. Factual position is as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Domestic Industry	%	29	28	26	27
Other Indian Producers	%	63	63	60	62
Subject Countries	%	3	4	3	3
Imports from countries attracting ADD	%	5	4	9	7
Imports from Other countries	%	0	1	1	2
Total Share of Demand	%	100	100	100	100

68. It is seen from the above that the demand for the product increased by 10% during POI as compared to the base year but marginally declined during the POI. While the share of imports from subject countries were almost stagnant during the injury period and the POI, the share of domestic industry has declined marginally from 29% in the base year to 27% in the POI. The imports from other countries have increased by 2% during the POI as compared to the base year, similarly imports from countries attracting ADD also increased by 2% during POI as compared to the base year.

Import Volume & market share

69. The Authority has examined the volume of imports of the subject goods as provided by the petitioner (which is based on secondary source import data i.e IBIS). Transaction wise imports data was procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S). It is however found that the volume of imports reported in DGCI&S is lower than the volume of imports reported in IBIS. The per/unit value in both the sources is almost same. Therefore the volume and value of imports reported in IBIS has therefore been adopted. The import volumes from subject countries are found to be above the de-minimis levels as can be seen from the table below.

70. Imports volume from subject country and other countries has been as under:-

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Imports Volume					
Imports from Subject Countries	MT	63,105	92,384	88,886	88,154
Trend	*Indexed*	*100*	*146*	*141*	*140*
China PR	MT	39,515	60,465	46,727	55,651
Trend	*Indexed*	*100*	*153*	*118*	*141*
Korea RP	MT	23,590	31,920	42,160	32,503
Trend	*Indexed*	*100*	*135*	*179*	*138*
Other countries attracting ADD	MT	1,16,588	95,627	2,39,151	1,71,922
Trend	*Indexed*	*100*	*82*	*205*	*147*
Other Countries	MT	7,742	31,376	38,656	44,220
Total Imports	MT	1,87,435	2,19,387	3,66,693	3,04,296
Trend	*Indexed*	*100*	*117*	*196*	*162*
Share in Imports					
Subject Countries	%	34	42	24	29
Other Countries attracting ADD	%	62	44	65	56
Other Countries	%	4	14	11	15

71. It is observed from the above table that imports from subject countries and countries attracting ADD have increased in POI as compared to the base year. Imports from other countries have also increased significantly during POI as compared to the base year.

Share of imports in relation to production

72. Authority notes that the imports from subject countries have remain static in relation to the production of the domestic industry, as is evident from the following table:

Particulars	Unit	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**POI**
Imports from Subject Countries	MT	63,105	92,384	88,886	88,154
Production of domestic industry (excluding Brine consumption)	MT	7,60,850	7,66,012	7,45,730	7,58,967
Dumped Imports in relation to production of domestic industry.	%	8	12	12	12

PRICE EFFECT

Price effect to dumped imports and impact on domestic industry

73. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject countries. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of the dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury. Thus, the Authority has worked out the non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry in terms of the principles by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The position is as follows.

Price Undercutting

74. The Authority considered whether there has been significant price undercutting by the imports, when compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The details of price undercutting analysis are as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Caustic Soda Lye					
NSR of Domestic industry	Rs/MT	***	***	***	***
China PR		***	***	***	***
Landed Value of imports	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting amount	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting range	% Range	5-15	Negative	0-10	Negative
Korea RP					
Landed Value of imports	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting amount	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting range	% Range	Negative	Negative	Negative	Negative
Subject Countries					
Landed Value of imports	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting amount	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting range	% Range	0-10	Negative	0-10	Negative

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Caustic Soda Flakes					
Net Sales Realization of Domestic Industry	Rs/MT	***	***	***	***
China PR		***	***	***	***
Landed Value of imports	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting amount	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting range	% Range	Negative	Negative	10-20	0-10
Subject Countries					
Landed Value of imports	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting amount	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting range	% Range	Negative	Negative	10-20	0-10

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Caustic Soda (Lye & Flakes)					
Net Sales Realization of Domestic Industry	Rs/MT	13,690	21,929	27,728	25,706
China PR					
Landed Value of imports	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting amount	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting range	% Range	5-15	Negative	0-10	Negative
Korea RP					
Landed Value of imports	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting amount	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting range	% Range	Negative	Negative	Negative	Negative

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Subject Countries					
Landed Value of imports	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting amount	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting range	% Range	0-10	Negative	Negative	Negative

75. The Authority notes from the above table that the landed price of imports of Caustic Soda considering both the Grade (lay & Flake/Solid) were above the net selling price of the domestic industry. The domestic industry contended that the Authority should include freight and commission to determine price undercutting, as the imports are also inclusive of these expenses. However, the Authority has proceeded with its consistent practice and concludes that the landed price of imports from subject countries is above the selling price of the domestic industry.

Price Underselling

76. Authority notes that the price underselling is an important indicator of assessment of injury. Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been determined considering the cost of production of the domestic industry for the product under consideration during the POI, in accordance with Annexure III of the Anti-dumping Rules. The NIP for both countries has been considered on the basis of weighted average of Lay and Flake of respective export quantity. The analysis of data given with Table below shows that the landed value of subject imports was above the non-injurious price, resulting in negative underselling.

Particulars	**UOM**	**China PR**	**Korea PR**
	POI		
Non-Injurious Price of Domestic Industry	US$/MT	***	***
Landed value without ADD	US$/MT	***	***
Price Underselling without ADD	US$/MT	***	***
Price Underselling without ADD	%	***	***
Price Underselling without ADD	Range %	Negative	Negative

Price Suppression and Depression

77. The Authority examined whether the effect of the imports was to depress the prices of the like article in India, or prevent price increases which would have otherwise occurred. The detailed analysis can be seen from the table below.

Particulars	**Unit**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**POI**
Lye					
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	144	168	162
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	160	203	188
Landed Value	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	180	206	204
Flakes/Solid					
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	142	156	146
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	153	190	176
Landed Value	Rs/MT	***	***	***	***

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Trend	Indexed	100	132	125	137

78. The Authority notes from the above table that in the case of Lye the cost of sales has increased from 100 to 162, whereas the selling price increased from 100 to 188 and landed price increased from 100 to 204, which indicates that there is no price suppression. In the case of Flake/Solid the cost of sales has increased from 100 to 146, whereas the selling price increased from 100 to 176 and landed price increased from 100 to 137, which indicates that there is price suppression.

Examination of other economic parameters of the domestic industry

79. Annexure II to the Anti- dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Production, capacity and capacity utilization

80. The capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry has been as under:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Installed Capacity	MT	8,82,820	8,82,820	8,82,820	8,82,820
Production (including Brine)	MT	7,67,406	7,72,521	7,51,212	7,64,581
Capacity utilization	%	86.93	87.51	85.09	86.61
Total sales	MT	6,74,436	6,83,393	6,67,864	6,87,659
Lye sales	MT	4,87,315	5,16,706	5,00,033	5,18,213
Flakes/Solid sales	MT	1,87,121	1,66,687	1,67,831	1,69,446

81. The Authority notes from the above table that the capacity for the product under consideration has remained at the same level. Production, capacity utilisation and sales of the domestic industry have remained more or less at the same level over the injury period.

Profit/loss, return on investment and cash flow

82. The return on investment, profit/loss before and after interest and cash profit are as shown in the table below:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Profit before tax	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*486*	*981*	*785*
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*216*	*358*	*308*
PBIT	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*357*	*651*	*533*
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*339*	*631*	*539*

83. The Authority notes that profits of the domestic industry improved significantly till 2012-13 and then strongly declined in the POI. Cash profits and return on capital employed followed the same trend as that of profits. The domestic industry has contended that the return on capital employed in the POI was below reasonable levels. However, the Authority notes that the profit in absolute term is significant during POI as compared to the base year.

Inventories

84. The inventories with the domestic industry moved as shown in the table below. It is seen that the inventory levels with the domestic industry increased over the injury period, even though there was a decline in the POI.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*106*	*201*	*165*

Employment and wages

85. The employment and wages with the domestic industry as shown in the table below. It is seen that wages have shown normal wage growth and the employment has declined slightly.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Employment	No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	98	99
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	104	123

Productivity

86. The productivity of the domestic industry as shown in the table below. The Authority notes that productivity of the domestic industry during POI has moved in tandem with the production over the injury period and has remained at similar levels over the injury period.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Productivity per day	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	101	103
Productivity per employee	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	98	100

Magnitude of Dumping Margin

87. The Authority notes that the dumping margin of the imports of the subject goods from the subject countries is negative.

Growth

88. The growth of the domestic industry has shown positive on price parameters up to 2012-13 and declined in POI, whereas the volume parameters have remained more or less at similar levels during the injury investigation period.

Particular	**Unit**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**POI**
Growth Compared to Previous Year					
Production	%	-	0.67	(2.76)	1.78
Domestic Sales Volume Lye	%	-	5.42	(3.07)	3.69
Average Stock Lye	%	-	(11.33)	153.81	(20.89)
Cost of sales domestic Lye	%	-	44.03	16.60	(3.55)
Selling price domestic Lye	%	-	60.02	26.59	(7.39)
Domestic Sales Volume Flakes	%	-	(10.18)	(4.67)	0.14
Average Stock Flakes	%	-	5.42	22.91	(11.19)
Cost of sales domestic Flakes	%	-	42.26	9.51	(6.13)
Selling price domestic Flakes	%	-	53.27	23.69	(7.23)
Return on capital employed (NFA basis)	%	-	7.30	9.01	(2.96)

Ability to raise Capital Investment

89. The ability to raise capital investment by the domestic industry in the event of dumping has been considered irrelevant since the domestic industry constituents are multi-product companies.

Overall assessment of Injury

90. The Authority notes that the volume of imports has declined in the injury period both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. With regard to the effect of the imports on prices, the landed price of imports of the responding exporters and non-cooperative exporters were above the selling price of domestic industry and Non-injurious price, showing negative price undercutting and price under selling.

Magnitude of Injury and Injury Margin

91. The Authority has demined the non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry in terms of Annexure III to the AD Rules. The Non-injurious price so determined has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during the POI which is as follows:

Injury Margin Table

Country	Producers/ Exporters	Non- Injurious Price USD/DMT	Landed Price USD/DMT	Injury Margin USD/DMT	Injury Margin (%)	Injury Margin Range (%)
Korea RP	Hanwha Chemical Corporation (Producer) - Hanwha Corporation & Tricon Energy Ltd. (Exporter)	***	***	***	***	(5-15)
	Any other combination	***	***	***	***	5-15
China PR	Shanghai Chlor Alkali (Producer) & Tricon Overseas (Exporter)	***	***	***	***	(0-10)
	Tianjin Dagu (Producer) & Tricon Energy Ltd. Or Tricon Overseas (Exporter)	***	***	***	***	(0-10)
	Any other combination	***	***	***	***	10-20

Causal Link

92. The Rules mandates the Authority to examine the causal links between the dumped imports and the injury caused to the domestic industry on account of the dumped imports. The Authority has examined whether the following known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

i. Volume and Value of Imports not sold at dumped prices: The Authority notes that imports from a number of other major sources are attracting anti dumping duties. Imports from Iran were earlier attracting anti dumping duty. The Authority, however, did not conduct sunset review investigations presuming that the volume of imports from Iran was low and was unlikely to increase significantly. It is however seen that the volume of imports from Iran are now quite significant. The domestic industry contended that imports from Iran are also at dumped prices and anti dumping duty should be clamped again on imports from Iran. The Authority notes that the present investigation is a sunset review and the Authority is required to focus on likelihood of dumping & injury. Dumping from other sources cannot be addressed in the present petition.

ii. Contraction in Demand:- The Authority notes that there is no contraction in demand as the demand of the subject goods in the country has consistently grown throughout the injury period.

iii. Pattern of consumption: - It is noted that there is no change in the pattern consumption of the subject goods causing injury to the domestic industry.

iv. Conditions of competition:-The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

v. Developments in technology: - The Authority notes that the investigation has not shown that there was any significant change in technology which could have caused injury to the domestic industry.

vi. Export performance of the domestic industry: - The Authority notes that the petitioner companies are exporting some volumes. However, the injury information provided is for domestic operations only.

vii. Performance of other products of domestic industry: The Authority noted separate records are maintained by Domestic Industry for product under consideration. The performance of other products did not cause any impact over injury to the domestic industry.

Conclusion on material injury and causal link

93. The Authority concludes that the dumped imports of the subject goods from the subject countries are not undercutting the prices of domestic industry.

I. Likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury

Submissions by the domestic industry

94. Following are the submissions made by the domestic industry:

i. The product has a very long history of continued and renewed dumping in the country for more than a decade. The price of the product is determined by the supplier with imports being on spot basis. In the face of significant global surpluses there is increased dumping in the market. Under the circumstances the product is being sourced from countries not attracting anti dumping duties.

ii. The domestic industry has faced continued dumping whenever the international markets have faced trouble for some reasons. There has been significant surge in imports even after imposition of duties.

iii. The previous investigations established significant dumping margins. The dumping margin for the current investigation is also substantially high.

iv. After the initial drop in 2002 the volume of imports increased to such a significant degree that the Safeguard duties had to be applied in the year 2009-10. Subsequent to stabilization thereafter there is a significant increase now which is likely to continue in the event of cessation given the huge surplus capacities available with the subject countries.

v. China and Korea as per data procured from Harriman Chemsult have surplus capacities.

vi. The excess capacities in relation to demand in the subject countries built by the producers are indicative of their export orientation. This may lead to intensified exports into India in the event of cessation of duty.

vii. In case of both China and Korea dumping margin and injury margin determined in respect of exports of product under consideration from subject countries to third countries have been found to be very significant. The share of dumped imports is also significant.

viii. The injury suffered by domestic industry from dumped imports since a long time clearly establishes that the domestic industry is vulnerable to injury from dumped imports.

ix. As regards the contention that increase in imports has no correlation to dumping or injury it is submitted that the claim of petitioners with regard to capacities in the exporting country is based on Harriman Chemsult data. The claims of imports and exports from the exporting countries are based on customs data of the exporting countries. Thus, the petitioner has duly substantiated its claims. Moreover, it is not the argument of the exporter that any of the data provided by the petitioner is not factually correct.

x. As regards the contention that there is no evidence with regard to channelization of exports to India upon removal of duties, the petitioner submits that the claim of the petitioner is based on simple business proposition that the producers want to optimize their production and are always looking for market opportunities. Should the domestic industry not offer prices matching the import prices, there would be flood of imports in the Indian market. This is clearly established by the trend of imports in the most recent period.

xi. The petitioners agrees with the argument that its makes no commercial sense to increase sales to a market of a lower realization when there are global demands with higher realization available to Chinese and Korean producers. However, the facts are very different from the argument. Whether the subject exporters are getting better price in third countries can be verified from transaction wise details of exports from China and Korea to third countries. The Designated Authority has prescribed these requirements in the questionnaire meant for sunset review. None of the exporters have provided this information to the Designated Authority as they are afraid that this information would show that their exports to a number of third countries were at a price lower than export price to India.

xii. With regard to the contention that domestic industry has had bullish performance which is far from vulnerable, it is submitted that reduction in import price in present POI, price undercutting, decline in profits & return on investment in the present POI, surplus capacities in the exporting countries, current pattern of exports from subject countries to other countries collectively show that the domestic industry is vulnerable to significant injury. This is further established by the post period of investigation which clearly shows significant increase in imports from subject countries and other countries.

xiii. With regard to the contention that the prices of imports from subject countries are at same level as that from other countries, it is submitted that this contention only further establishes that the exporters do not have a choice but to follow prices from other countries. Under such competitive market conditions, whosoever gives lower price, gets the order.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

95. The following are the submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties with regard to likelihood of dumping and injury:

a. The claim of applicants is that there is a long history of dumping in the product and if duties are removed, this dumping and injury will continue. Likelihood examination cannot be based on such conjecture and speculation.

b. The cooperating exporters in the present investigation have consistently had a history of "no dumping" whereby this parameter ought to be rejected.

c. The claim of applicants that there has been an increase in the volumes of imports since the original levy whereby there is likelihood and injury is without any actual correlation to dumping or injury.

d. The overall imports depiction by the applicants is an attempt to mislead the authority. There is a clear reduction in volumes from 2006-07 and even the recent increase is commensurate to the increase in demand.

e. The applicants have no evidence or actual source to substantiate their claim of freely disposable present and potential capacities with the producers/exporters in the subject countries. Even if there are surplus capacities there is no evidence to indicate that a removal of duties will imply channelization of surplus capacities towards exports to India.

f. Exporters' sales to India have remained at a non-dumped fair price throughout the history of present investigation even though exporters enjoyed nil-duty margins.

g. The claim of applicants about significant exports from subject countries and their dumping in third countries is without any source or evidence and therefore speculative and worthy of outright rejection.

h. As regards vulnerability of domestic industry, there appears to be no volume injury being suffered by the domestic industry. Profitability is high, prices are moving at a better rate than costs and the subject imports have had no impact on the performance of the domestic industry as per the analysis presented above. It is wrongful to claim that the domestic industry is vulnerable when it has in fact had a bullish performance in the last few years.

Examination by the Authority

96. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from China PR and Korea RP. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of anti-dumping duty is warranted. This also requires examination of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. As far as likelihood analysis is concerned, the domestic industry has based its argument of likelihood of dumping and consequent injury on the ground of surplus capacities in relation to demand in the subject countries indicating their export orientation and price attractiveness of the Indian market.

Surplus capacity in China PR and Korea RP

97. It is seen from the data/evidence procured by the domestic industry from an independent source Harriman Chemsult Ltd., 2010 that there are huge surplus capacity of Caustic Soda in China PR and Korea RP in comparison to the demand in India.

Price attractiveness of Indian market

98. The Authority notes that in respect of the responding producers/exporters from Korea RP and China PR, the dumping and injury margin in the POI is negative. The Authority has noted that in respect of the responding producers/exporters from Korea RP, the duty in the previous investigation was nil. Therefore, the question of determining the likelihood to continue the old duty does not arise. However, there are continued dumped imports from sources other than responding producers/exporters from Korea RP in the POI and the dumping margin is substantial in respect of other sources. The Authority has carried out the likelihood analysis in respect of Korea RP to see whether revocation of duty is likely to lead to continued dumping of the product. However, it is also seen that as per the World Trade Atlas data the average export price from Korea RP to economies similar to India like Thailand, Singapore, Indonesia, Saudi Arabia, South Africa, etc. is far below the average export price to India. Therefore, there is likelihood that exports from sources other than responding producers/exporters from Korea RP will be diverted to India at dumped prices. As far as China is concerned, the Authority notes that with respect to the responding producers/exporters, the dumping and injury margin in the POI is negative and these producers/exporters had not responded in the previous investigation. However, there are continued dumped imports from sources other than the responding producers/exporters from China in the POI and the dumping margin as well as the injury margin is substantial in respect of other sources. The World Trade Atlas data shows that exports from China to various countries globally during the period of investigation was at an average price of US$ ***per kg, which was below the average export price from China to India (US$ ***). The data also shows that the exports from China to most of the countries which have economies similar to India like Philippines, Singapore, Indonesia, Thailand, etc. was at even further lower price in comparison to the average export price to India. Therefore, there is likelihood that exports from sources other than responding producers/exporters from China PR will be diverted to India at dumped prices.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

99. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

100. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

K. POST DISCLOSURE STATEMENT COMMENTS

(A) Post Disclosure comments of the opposing interested parties

101. The Authority notes that post Disclosure Statement submissions made by the opposing interested parties are repetitive in nature and have already been dealt with in the Final Findings. The opposite interested parties have, in brief, filed the following post Disclosure Statement submissions:

i. The non-confidential petition made available in the present investigation had not disclosed any cost related information in summarized form. No indexed or ranged figures had been provided as part of the costing section of the Petition.

ii. Since NALCO is a Government company, the selection of tenders is based on rules and norms of international competitive bidding, whereby the pertinent commercial and technical parameters shall be relevant in NALCO's final decision. Thus any conclusion on this issue without having detailed facts on the injury to the Domestic Industry specifically from Cooperating Exporters is premature.

iii. The Authority has held that the treatment of chlorine as a joint or by-product is not based on demand but on the relative value of the two products. Accordingly, the price offered by the producers on sales of chlorine is relatively lower. If there was a high demand for chlorine in India, it would command a higher price whereby its 'relative value' would also be higher. In fact, the relative value of chlorine is generally higher worldwide due to higher demand whereby it is considered a co-product in most companies globally. Nevertheless Annexure III of the Anti-dumping Rules should be followed to adjust the prices of chlorine for caustic soda.

iv. The cooperating exporters have remained cooperative and have not dumped the subject goods in India. Accordingly, the Cooperating Exporters request the Authority to maintain their nil margin of duty in the present sunset review.

v. The cooperating exporters submit that the Domestic Industry has not suffered any injury on price or volume parameters in the period of investigation and the injury period, particularly from exports made by the cooperating exporters.

vi. As regards causal link is concerned, since the cooperating exporters are neither dumping nor causing injury to the Domestic Industry either in the POI or post POI, there is clearly a break in the causal link. As regards the causal link analysis is concerned, the Hon'ble Designated Authority should follow the practice in analyzing the applicable factors or parameters within the facts of this case and accordingly conclude whether the causal link effect has been rightly dealt with.

vii. As regards the cooperating exporters are concerned, it has already been submitted that they have not been dumping or injuring the Domestic Industry not only in this investigation but also in the previously concluded investigations concerning the subject goods. Therefore, the Authority has rightly come to the conclusion as regards the assessment for likelihood analysis.

(B) **Post Disclosure Comments of the Domestic Industry**

102. The Authority notes that most of the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry are repetitive in nature and have already been dealt with elsewhere in the Final Findings. Following are, in brief, the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry:

i. Product under consideration continues to be exported to India below its normal value resulting in dumping from the subject country.

ii. Both dumping margin and injury margin are significant and positive, implying likelihood of intensified dumping and consequent injury to the domestic industry.

iii. The anti dumping duty on Caustic Soda is required to be extended further for a period of five years.

iv. The Authority has found that the dumping margin and injury margin in respect of exports made by the participating exporters are negative. Petitioners strongly dispute the conclusion drawn in the disclosure statement and request the Authority to examine the issue again. It is evident that cumulative exports made by Tricon during this period is far higher than the cumulating exports of the goods produced by the participating producers. Possibly, Tricon has supplied caustic soda in India which was produced in non subject countries. Very likely, Tricon has bought material from the cooperating producers and sold the same to third countries. It is, thus, very much feasible for Tricon to claim any price based on several purchases made by Tricon. Under these circumstances, selling price of Tricon becomes entirely immaterial in deciding dumping margin. It is the selling price of the participating producers which alone should have formed the basis for determination of dumping margin and injury margin.

v. The petitioners request the Authority to consider highest cost of production in India for determining normal value, considering non cooperation from the foreign producers. If lowest import price reported in India can be adopted for determining export price, highest cost of production in India should be adopted for determining normal value.

vi. The Authority has not adopted lowest import price reported in India for the purpose of determining export price for non cooperating exporters. The export price of non cooperating exporters is not reflected in the export price of participating/cooperative exporters. The export price of non cooperating exporters is reflected in the Indian import data. Therefore, lowest import price reported in the Indian import data should be adopted for the purpose of determining export price and dumping margin for non cooperating exporters. This was the methodology adopted by the Authority in the past in a number of cases, including Nylon Tyre Cord Fabric from China.

vii. Wrong determination of Non-injurious Price: It would be inappropriate to ignore actual production and adopt any other production basis for determination of non injurious price. The Authority has wrongly considered power at cost of production.

viii. Determination of injury margin - Fair comparison principles not followed- need for inclusion of taxes and duties for injury margin.

ix. The anti dumping duty is required to be continued in fixed form and the duty expressed in US$ terms.

(C) Examination by the Authority

103. The Authority notes that most of the post disclosure statement submissions made by the domestic industry and the opposing interested parties are repetitive in nature and have already been dealt with in the Disclosure Statement and again have been addressed in this Final Findings Notification under the appropriate headings. Nonetheless, the Authority has addressed these issues to the extent considered relevant as under:

a. Complete information for the value chain has been provided by the responding exporters-producers. Further, since Tricon is only a trader, the normal value is required to be determined by considering the country of origin. Country of export cannot be considered for determination of normal value. If Tricon has exported goods produced by several producers in subject and non subject countries, the exporter is entitled to separate dumping margin for each chain, so long as the producers are unrelated. The Authority has determined weighted average dumping margin for an exporter for the goods produced by different producers only when such producers are related. However, if the producers are not related, the Authority has been determining separate dumping margin for each cooperating producer, even if the exporter is common for them. Moreover, the Authority has determined individual dumping margin, injury margin and anti dumping duty only for the value chain for which response has been filed. The anti dumping duty so determined has also been recommended only for that particular value chain.

b. Further, with regard to the submission of the domestic Industry that Tricon had claimed any price based on several purchases made by them, the Authority notes that the subject goods purchased by Tricon from Hanwha have indeed have been exported to India. Therefore, the export price claimed by Tricon is based on actual data. Therefore, the apprehension of the domestic industry in this regard is misplaced. The Authority further notes that the dumping margin and the injury margin for Hanwha –Tricon combination have been determined correctly by taking into account only those subject goods purchased from Hanwha and exported to India by Tricon. The Authority further notes that for the purpose of calculating the net export price and dumping margin, the price at which the subject goods have been actually sold by Hanwha to Tricon for export to India have been considered. However, for the purpose of calculating landed value and injury margin, the Authority has considered the price at which the subject goods of Tricon purchased from Hanwha landed in India as per the consistent practice followed by the Authority. Therefore, this submission of the domestic industry does not have merit.

c. As regards determination of normal value for the cooperative and non-cooperative producers, the Authority notes that it has been its consistent practice to determine normal value either on the basis of records maintained by the producers-exporters or on the basis of constructed cost of production, by considering lowest cost of production in India. The Authority has followed its consistent practice in the present case as well. As far as the argument that the lowest import price reported in the Indian import data should be adopted for the purpose of determining export price and dumping margin for non cooperating exporters as was done in NTCF, in this context, the Authority notes that in that case, it had followed that principle as the data of the cooperative exporters were admitted on the basis of table study instead of verification at their premises. Since, in the present case also, the Authority has admitted the data of the co-operative exporters based on table study, the Authority has accepted the submission of the domestic industry in this regard and accordingly determined the dumping margin and injury margin of the lowest import price reported in IBSI data. This is based on the logic that the similarity of the two situations is based on table study. If, however, actual site verification is done in a case and table study in another, the verified site data will prevail.

d. As regards contentions of the domestic industry for inappropriate determination of non injurious price, the Authority held that NIP has been correctly determined in terms of Annexure-III of the AD Rules.

e. The Authority notes that the duties are in force on imports of Caustic Soda originating in, or exported from Saudi Arabia, USA and Iran vide Notification No. 49/2012-Customs dated 26th November, 2012. Further, duties are also in force on imports of Caustic Soda originating in, or exported from Thailand, Chinese Taipei and Norway vide Notification No. 79/2011-Customs dated 23rd August, 2011.

L. CONCLUSION

104. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the opposing interested parties and the domestic industry and facts available before the Authority as recorded in this final finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

(i) Product under consideration continues to be exported by non-cooperative producers and exporters from the subject countries to India below its normal value resulting in dumping and injury.

(ii) Both dumping margin and injury margin are significant and positive, in respect of non-cooperative producers and exporters from the subject countries, implying likelihood of intensified dumping and consequent injury to the domestic industry.

(iii) The anti dumping duty on the subject goods originating in or exported from the non-cooperative producers and exporters from the subject countries to India is required to be extended/modified further for a period of five years after analysis of the latest data.

M. RECOMMENDATIONS

105. Having concluded as above, the Authority is of the view that the anti-dumping measure is required to be recommended to offset dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and its consequential injury to the domestic industry.

106. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, anti dumping duty equal to the amount indicated in the table below is recommended to be imposed concerning all imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, by the Central Government.

DUTY TABLE

Sl. No	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of Origin*	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
1	281511 and 281512	Caustic Soda	Any grade	Korea RP	Korea RP	M/s Hanwha Chemical Corporation	Tricon Energy Limited, USA	Nil	Dry Metric Tonne	US $
2	281511 and 281512	Caustic Soda	Any grade	Korea RP	Korea RP	Any combination other than Sl. No.1		21.90	Dry Metric Tonne	US $
3	281511 and 281512	Caustic Soda	Any grade	Korea RP	Any country other than Korea RP	Any Producer	Any Exporter	21.90	Dry Metric Tonne	US $
4	281511 and 281512	Caustic Soda	Any grade	Any country other than subject countries and countries	Korea RP	Any Producer	Any Exporter	21.90	Dry Metric Tonne	US Dollar

Sl. No	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of Origin*	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
				attracting anti dumping duty.						
5	281511 and 281512	Caustic Soda	Any grade	China PR	China PR	M/s Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd	Tricon Overseas Inc., USA	Nil	Dry Metric Tonne	US $
6	281511 and 281512	Caustic Soda	Any grade	China PR	China PR	M/s Tianjin Dagu Chemical Company Limited	Tricon Energy Ltd, USA	Nil	Dry Metric Tonne	US $
7	281511 and 281512	Caustic Soda	Any grade	China PR	China PR	M/s Tianjin Dagu Chemical Company Limited	Tricon Overseas Inc., USA	Nil	Dry Metric Tonne	US $
8	281511 and 281512	Caustic Soda	Any grade	China PR	China PR	Any combination other than Sl. No. 5, 6 and 7		48.39	Dry Metric Tonne	US $
9	281511 and 281512	Caustic Soda	Any grade	China PR	Any country other than China PR	Any Producer	Any Exporter	48.39	Dry Metric Tonne	US $
10	281511 and 281512	Caustic Soda	Any grade	Any country other than subject countries and countries attracting anti dumping duty	China PR	Any Producer	Any Exporter	48.39	Dry Metric Tonne	US $

**Note: Where there is overlapping of antidumping duty on the subject goods with respect to a subject country in different customs notifications, the duty applicable to that subject country shall be the one imposed under the customs notification in which the said country has been specifically mentioned under the Column "Country of Origin"*

N. **FURTHER PROCEDURE**

107. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

108. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.